

आदेश

सचिव विलत उत्तराखण्ड शासन देहरादून विलत अनुभाग-9 के पत्र संख्या 27/2018/27(9)/स्टाम्प-80/2008 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी निदेश तथा महानिरिक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1020/मणिनि0/2017-18 दिनांक 12.01.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड सम्प्रति का मूल्यांकन नियमावली 2015 के अनुसार कार्यालय के पत्र संख्या 626/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2016-17 दिनांक 19.08.2016 द्वारा पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची जो दिनांक 19.08.2016 से प्रभावी है, को संशोधित करते हुए जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित तहसीलवार भूमि एवं भवनों (सम्पत्ति) की दरों का स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क मुगलान के प्रयोजन हेतु संशोधित मूल्यांकन सूची शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में संशोधित की जाती है, जो आज दिनांक 14.01.2018 से प्रभावी होगी।

(डॉ० नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
ऊधमसिंहनगर

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर, ऊधमसिंहनगर।

पत्र संख्या-529/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2017-18 दिनांक - 14 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विलत (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विलत (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिरिक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, युमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. रामरत उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/उपनिबन्धक, ऊधमसिंहनगर।
8. रामरत अधिशासी अधिकारी/नगर निगम/नगर पालिका परिषद/छावनी क्षेत्र/नगर पंचायत, ऊधमसिंहनगर।
9. जिला निबन्धक/सहायक आयुक्त स्टाम्प, ऊधमसिंहनगर।
10. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
11. कार्यालय प्रति।

(जगदीश चन्द काष्ठपाल)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
ऊधमसिंहनगर।

नगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

(15)

क्र०	प्रमुख मार्ग/मोहो/राजपथ मार्गों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहो/राजपथ मार्गों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर को लागू करें)	सामान्य दर (Base Rate)						
				अकृषि / आवासीय भूमि को दर (को प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	हिलीय श्रेणी दीन पोश
				सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		दुकान/शेल्ड/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (रिजिस्ट्रेशन)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1क	(क) 1-सम्पूर्ण-नैनीताल प्रांतीय राज मार्ग- 01 (नगर पालिका के अन्तर्गत)	मौनाइस्लानगर (1)-मजराप्राप्त बार्ड न०-01 (2)-रेलवे कालोनी बार्ड न०-06 मिस्सीर मुण्डिया (1)-ईदगाह बार्ड न०-02 (2)-मुडिया मिस्सीर बार्ड न०-05 (3)-दीनी मिल बार्ड न०-10 (4)-सुभाष नगर बार्ड न०-08 मुण्डिया काला (1)-दीनी मिल बार्ड न०-10 चक्रपुर (आलापुर) (1)-समसवन बार्ड न०-03 (2)-गोबदीनगर बार्ड न०-04	423	8200	8100	21200	24500	23900	12000	7000
	2-समसवन रोड (लिक मार्ग) (नगर पालिका के अन्तर्गत)	मौनाइस्लानगर (1)-संजयनगर बार्ड न०-07 (2)-दीन भन्सिर बार्ड न०-11 (3)-मजराबला बार्ड न०-09	423	9200	8100	21200	24500	23900	12000	7000
	3-बेरिया-सौलत लिंक मार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	धकरपुर (आलापुर) (1)-समसवन बार्ड न०-03 (2)-गोबदीनगर बार्ड न०-04	423	9200	8100	21200	24500	23900	12000	7000

अध्यक्ष/नगरपालिकाारी (वि./स.)
उद्यम सिंह नगर !

नगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

19

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग/मोहो/राजस्व मार्गों के नाम	प्रमुख मार्ग/मोहो/राजस्व मार्गों के नाम (20 नवम्बर 2017 से नगर पालिका बाजपुर में जुड़े नये मार्ग)	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रू० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)						
				अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन घोरा
01	02	03	04	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	07	08	09	10	11
2	सामपुर-नैनीताल प्रान्तीय राजमार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	मौनाइस्लामनगर मौनाइस्लामनगर वार्ड न०-12 मुण्डिया विस्तीर बुलसा छात्रावास वार्ड न०-18	100	9000	8300	21000	24300	23700	12000	7000
3	सामपुर-नैनीताल प्रान्तीय राजमार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	1-ताली बुलसा छात्रावास वार्ड- 18 2-महेसपुर दोसहा वार्ड न०-17 (आंशिक)	90	8700	7300	20700	24000	23400	12000	7000
4	सामपुर-नैनीताल राजमार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	1-हरलालपुर दोसहा वार्ड न०-17 (आंशिक) 2-खमरिया राजीवनगर वार्ड न०-20 (आंशिक)	90	8700	7300	20700	24000	23400	12000	7000
5	सामपुर-नैनीताल राजमार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	चक्रपुर आंशिक चक्रपुर वार्ड न०-19 राजीवनगर वार्ड न०-20 (आंशिक)	85	8900	8000	20900	24200	23600	12000	7000
8	सामराज रोड लिक मार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	1- मन्दपुरनरका टोपा (1)नन्दपुर वार्ड न०-13 (2)मरियमपुर वार्ड न०- 14	66	7500	6600	19500	22700	22100	12000	7000

अपर विभागाधिकारी (प्रि./च.)
उद्यम सिंह नगर

नगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

20

क्र.सं. संख्या	प्रमुख मार्ग / मोहो / मार्ग / सराय ग्रामों को सेवा	प्रमुख मार्ग / मोहो / सराय ग्रामों के नाम	समाविष्ट ग्राम	कुल भूमि (प्रति हेक्टेयर रूप लाख से)	सामान्य दर (Base Rate)							
					अकृषि / आवासीय भूमि को दर (रूप प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / शेल्वेस्ट कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक एक प्रतिवर्ग	ग्राम शेरा (लिटर प्रति)	हिरीय शेरा टीन पोश
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक						
2	(क)	काशीपुर-रुद्रपुर मार्ग NH-74 (अन्तर्गत नगर पंचायत)	1- नगरपंचायत कोलाखेडा (1) कोलाखेडा (2) मडैया रस्ता 1- मुल्लिस थाना (वाडी) 2- गांधीनगर (वाडी) 3- मुजफ्फरनगर (वाडी) 4- जामा मस्जिद (वाडी) 5- कादरी मस्जिद (वाडी) 6- फिदा नगर (वाडी) 7- आजादनगर (वाडी) 8- रस्ता मडैया (वाडी) 9- शास्त्रीनगर (वाडी)	90	8300	7700	20500	23500	22900	12000	7000	
3	(क)	काशीपुर-रुद्रपुर मार्ग NH-74 (अन्तर्गत नगर पंचायत)	1- नगरपंचायत सुल्तानपुर (1) सुल्तानपुर (2) जगन्नाथपुर 1- शिवनगर (वाडी) 2- गांधीनगर (वाडी) 3- टाण्डा बजारा (वाडी) 4- नैतानगर (वाडी) 5- श्यामनगर (वाडी) 6- आर्यनगर (वाडी) 7- आदर्शनगर (वाडी)	90	8300	7700	20300	23500	22800	12000	7000	

✓

उपम रिह नगर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

(21)

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मोड़ / राजस्व मार्ग / ग्रामी को क्षेत्री	प्रमुख मार्ग / मोड़ / राजस्व मार्ग के नाम	समाविष्ट प्रांत	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाल क्षेत्र से)	सामान्य दर (Basic Rate)		बहुमंजरीय आवासीय मकान में स्थित आवासीय परिसर प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक मकान की दर (गुफर परिसर प्रति वर्ग मीटर)	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)		
					अर्द्ध / आवासीय भूमि की दर (लाल प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मीटर तक से अधिक			एकान / सैट्टरेन्ड / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिटरप्रेश)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	(क)	काशीपुर-कदपुर मार्ग NH-74	1-मुल्तानपुर 2-जगन्नाथपुर 3-दिमलिया	87	8200	7200	20200	22500	21900	12000	7000
		काशीपुर-कदपुर मार्ग NH-74	1-कनौरी 2-कनौरी	81	7900	7200	19900	22200	21600	12000	7000
		काशीपुर-कदपुर मार्ग NH-74	1-ताली 2-महेरापुरा	76	8200	7200	20200	22500	21900	12000	7000
		काशीपुर-कदपुर मार्ग NH-74	1-कैलाखड़ा	82	8200	7200	20200	22500	21900	12000	7000
		काशीपुर-कदपुर मार्ग NH-74	1-महम्यारतना 2-बिजपुरी 3-टांडा आलम	82	7800	7200	19800	22000	21400	12000	7000

अपर विभागाधिकारी (वि. /
उद्यम सिंह नगर !

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

22

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्भावित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रकम लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)			वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		मैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रकम प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	वाणिज्यिक भवन में स्थित आवासीय	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिटरेचर)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2	(क)	सामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1- चकरपुर	91	8900	8000	20900	23300	22700	12000	7000
	(ख)	सामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1- हरलालपुर 2- खमरिया	80	8800	7200	20600	23000	22400	12000	7000

अप्रम सिद्धाधिकारी (नि.रा.)
उपप्रम सिंह नगर

अर्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

22

क्रम क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मौज / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौज / राज स्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टर को लाख में)	सामान्य दर (Basic Rate)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (ला प्रति वर्ग मीटर)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (ला प्रति वर्ग मीटर)		दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रधान श्रेणी (लिनटरपोथ)	द्वितीय श्रेणी टीन पोथ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2	(ग)	रामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1-दियोदरी	48	7400	6500	19400	21600	21000	12000	7000
	(घ)	रामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1-नेमुना 2-हजीरा 3-हुलसनगंज 4-बरहैनी	41	6100	5400	18100	20200	19600	12000	7000
	(ङ)	रामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1-हरीपुर 2-खुर्सेटा	41	5800	5000	17600	19700	19100	12000	7000
	(च)	रामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1-महाडपुर	27	5100	4500	17100	19100	18500	12000	7000

5

4/1/18

मुख्य विकास अधिकारी (प.न. एवं
स.स. विभाग, बाजपुर)

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

24

क्र.संख्या	प्रमुख मार्ग / मोहो/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहो/ राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कुल भूमि (प्रति हेक्टेयर 100 लाख में)	सामान्य दर (Basic Rate)		बाहुल्यपूर्ण आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट (सुपर प्रोफिट वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर प्रोफिट वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रोफिट वर्ग मीटर)	
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० से अधिक		दुकान/ रेस्टोरेंट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिक्विडेशन)	द्वितीय श्रेणी दीन क्षेत्र
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3	(क)	रामराज रोड सिक मार्ग	1-केशीवाला 2-सानीनाल	48	7400	6500	18400	21600	21000	12000	7000
	(ख)	रामराज रोड सिक मार्ग	1-विक्रमपुर	69	7400	6500	19400	21600	21000	12000	7000
	(ग)	रामराज रोड सिक मार्ग	1-किशनपुर. 2-रतनपुरी 3-रतनपुरा	48	6000	5500	18000	20100	19500	12000	7000
	(घ)	रामराज रोड सिक मार्ग	1-बाजपुर खास	48	5500	5200	17500	19500	18900	12000	7000

✓

24/11/18

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

25

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / चौक / बाजार / ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / चौक / बाजार व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कुछ भूमि (प्रति हेक्टेयर १०० लाख में)	सामान्य दर (Basic Rate)		बहुसंजीवीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परलैट (ग्राम एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (ग्राम एरिया प्रति वर्ग मीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					अवधि / आवासीय भूमि की दर (१०० प्रति वर्ग मीटर)	अवधि से १०० तक		दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टरगेश)	द्वितीय श्रेणी टीन पोश
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3	(ह)	समराज रोड लिंक मार्ग	1-फरीदपुर 2-नारायणपुर	24	5300	4500	17300	19300	18700	12000	7000
	(च)	समराज रोड लिंक मार्ग	1-गुलाहिया 2-गुलाहिया पोखरा	21	4000	3500	16000	17900	17300	12000	7000

अपने विभागाधिकारी (वि. नं. १००) के समक्ष सिद्ध भवत ।

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

26

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग/ सीडो/ राजस्व ग्रामों की क्षेत्री	प्रमुख मार्ग/सीडो/रा जस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रू० लाख में)	सामान्य दर (Basic Rate)		अर्द्धनगरीय अवस्थायी भवन से स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	हितीय क्षेत्री दीन पोरा
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० से अधिक सड़क से 100 मी० तक		दुकान/ स्टोरेज/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
4	(क)	बन्नाखेड़ा लिंक मार्ग	1-इकधरा	48	7400	6500	18400	21600	21000	12000	7000
	(ख)	बन्नाखेड़ा लिंक मार्ग	1-हैटा 2-बन्नाखेड़ा 3-भारनगंज	48	5800	5200	17800	19800	19300	12000	7000
	(ग)	बन्नाखेड़ा लिंक मार्ग	1-टहड़ा अमीचन्द 2-खुशालपुर	21	4000	3600	16000	17800	17300	12000	7000

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

(25)

क्रम (संख्या)	प्रमुख मार्ग / मौख / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौख / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर को लाख में)	साधारण दर (Base Rate)			वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर परिया प्रति वर्गमीटर)	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)		
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (को प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर परिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / शेडरूम / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
5	(क)	शेरियादौलत लिंक मार्ग	चकरपुर	91	8900	8000	20900	23300	22700	12000	7000
	(ख)	शेरियादौलत लिंक मार्ग	लखनपुर	73	8200	7500	20200	22500	21900	12000	7000
	(ग)	शेरियादौलत लिंक मार्ग	नरखेडा	50	7300	5500	19300	21500	20900	12000	7000

उपर लिखित कारी (वि./रा.
उपम सिंह नगर !

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

28

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग/ मौजो/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौजो/राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर का राजस्व में)	सामान्य दर (Base Rate)						
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजरीय आवासीय मकान में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		दुकान/ रेस्तरेंट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्डरघरा)	द्वितीय श्रेणी टीन घोरा
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
5	(घ)	बेरियादोलत लिंक मार्ग	1-मजुवानगला	26	5300	4500	17300	18300	18700	12000	7000
	(ङ)	बेरियादोलत लिंक मार्ग	1-ब्रह्मपुर 2-शिवपुरी	28	5300	4500	17300	18300	18700	12000	7000
	(च)	बेरियादोलत लिंक मार्ग	1-बासवडी 2-बासवडी	21	4000	3500	16000	17900	17300	12000	7000
	(छ)	बेरियादोलत लिंक मार्ग	1-बेरियादोलत	30	5800	5200	17800	19900	19300	12000	7000

✓

अध्यक्ष महानगरपालिका (पे. 11/16)
उत्तरम सिंह नगर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

29

क्रम नं०	प्रमुख मार्ग / मौहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौहो / राज स्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर र लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)			वाणिज्यिक भवन की दर			गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	हुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर्पावेश)	द्वितीय श्रेणी टिन पोश
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
6	(क)	मलौरिया रोड लिक मर्गा	1-मुण्डिया अनी 2-धनसारा 3-मुण्डिया मनी	52	7400	6500	19400	21600	21000	12000	7000	
	(ख)	मलौरिया रोड लिक मर्गा	1-गुनसानी	42	5800	5200	17800	19900	19300	12000	7000	
7		छोई लिक मर्गा	1-सरकडा 2-बुधपुरा 3-कचगान	23	4300	4100	16300	18200	17600	12000	7000	

29/11/16
सहायक सचिव
तहसील बाजपुर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्र.सं. विकास	प्रमुख भूमा / सर्वोच्च प्राप्ति की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / सौकर / य प्राप्ति के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रु० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)			बहुमंजरीय आवासीय ग्राम में स्थित आवासीय	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)
					अच्छी / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / रेस्तरांट / कार्यालय	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
8	(क)	महैया हट्ट लिक मार्ग	हरसान	41	4900	4500	16900	18900	18300	12000	7000
	(ख)	महैया हट्ट लिक मार्ग	1-भापकनाला 2-टांडा एरिमान	26	3800	3500	15800	17700	17100	12000	7000
	(ग)	महैया हट्ट लिक मार्ग	महैया हट्ट	24	3800	3500	15800	17700	17100	12000	7000
9		नई सड़क लिक मार्ग	1-भीकभपुरी 2-खम्हारी 3-महोली जंगल 4-महोली बोन	26	4300	4100	16300	18200	17600	12000	7000

4

3817 11/11/19

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम क्षेत्र	प्रमुख मार्ग / मौजो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौजो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रू० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपरसुरेिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	दुकान / शेडरूम / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिटलरपोथ)	द्वितीय श्रेणी टीन पोथ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
10	(क)	अन्य विशिष्ट ग्राम	1-भवानगला 2-कतौहपुर 3-कल्याणपुर 4-मझ्या कायन 5-केलाबन्वारी 6-इटवा 7-रम्पुरा शाकर 8-बन्वारी 9-बेनीरामपुर	26	4500	4300	16500	18500	17900	12000	7000
	(ख)	अन्य विशिष्ट ग्राम	1-बिराहा	30	4700	4300	16700	18800	18000	12000	7000
	(ग)	अन्य विशिष्ट ग्राम	मुकन्दपुर	25	4000	3600	16000	17900	17300	12000	7000
	(घ)	अन्य विशिष्ट ग्राम	गनेशपुर	25	4000	3600	16000	17900	17300	12000	7000

अध्यापक/अधीक्षक वि.सं.
उपम सिक नगर ।

ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर

31

क्रम संख्या	ग्राम / मोहो / या जस् ग्रामों की श्रेणी	ग्राम / मोहो / या जस् ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	सामान्य दर (Base Rate)							
				कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर को लागू करें)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (को प्रति वर्ग मीटर)	वहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनट्रपथ)	द्वितीय श्रेणी टीन पोरा
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
11	क	ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर	1-उद्वियानी जंगल 2-उद्वियानी दूली 3-गजरीला 4-गुलजारीपुर	20	3800	3500	15600	16200	15600	12000	7000

अथ अधिकारी (नि. / स.)
सहस्र सिंह नगर ।

(Handwritten Signature)

ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर

32

सामान्य दर (Base Rate)											
क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / सौहार्द / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / सौहार्द / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रु० लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
11	रु०	ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर	1-गोबरा 2-गंगापुर 3-चनकपुर 4-छिलरी 5-जगतपुर 6-जोगीपुर 7-विजयपुर 8-बैतवेडी 9-मजराकुशालपुर 10-मड्यागुलजारी 11-मड्या बरसी 12-मलकपटपुर 13-मड्यादवा 14-महताबन 15-महुवाजाली 16-रजपुर नं०-1 17-रजपुरा नं०-2 18-रमपुराकाजी 19-सैरिया	20	3800	3500	15800	16200	15600	12000	7000

5

अपर विभागाधिकारी (वि./रा)
उद्यम सिंह नगर

ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर

34

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर १०० लाख में)	अकृषि / अवासीय भूमि की दर (१०० प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिट्टर पर)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
11	ग	ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर	1-सामजीवनपुर 2-समनगर 3-सकुवा 4-श्रीकान्ताला 5-सैमलपुरी 6-सन्तोषपुर 7-सरकड़ी 8-सिहाली 9-सौदनगंज 10-हिरदयपुर 11-कटीलाबोझ 12-चन्दनपुरा 13-महोला 14-टांडाखैम 15-टांडाकमरूद 16-दोबुसा 17-नूरपुर 18-पटोटी 19-बनाठ 20-बरवाला 21-बनाखेड़ा सामी 22-बाजवाला 23-विजयनगरिया 24-ककी	20	3800	3500	15800	16200	15600	12000	7000

5

अपर प्रशासिक कारी (वि. / २१)
उत्तर सिंह तार

जनपद-उधमसिंहनगर में औद्योगिक भूमि की दरें-

नगरीय क्षेत्र	3500 रु० प्रति वर्गमीटर
अर्द्धनगरीय क्षेत्र	2500 रु० प्रति वर्गमीटर
ग्रामीण क्षेत्र	1500 रु० प्रति वर्गमीटर
निर्माण की दरें	7000 रु० प्रति वर्गमीटर

नोट-1. औद्योगिक दरें में मार्गीय वृद्धि देय नहीं होगी।

2. उप निबन्धक काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत महुआखेड़ागंज नगरपालिका की औद्योगिक दरें 2500 रु० प्रति वर्गमीटर प्रभावी होंगी।


 जयपुर निरीक्षणकारी (सी. ए. ए.)
 लक्ष्मण सिंह गजपुरी

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका फार्मुला निम्नलिखित है :-

नोट:- क्षरण की निम्न सापेक्षी भवन की अनुमानिता आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में क्षर लोका निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :- $D = P(1 - RD/100)^N$

$RD = \frac{\text{भवन की औसत आयु}}{100}$

100

D = क्षर मूल्य (Depreciated Value) P = वर्तमान मूल्य N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)

1 वर्ष	26 वर्ष	51 वर्ष	76 वर्ष	100 वर्ष
0.990	0.770	0.598	0.465	0.366
0.980	0.762	0.592	0.461	
0.970	0.754	0.587	0.456	
0.960	0.747	0.581	0.452	
0.950	0.739	0.575	0.447	
0.941	0.731	0.569	0.443	
0.932	0.724	0.563	0.438	
0.927	0.717	0.558	0.434	
0.913	0.710	0.552	0.429	
0.904	0.703	0.547	0.425	
0.890	0.696	0.541	0.421	
0.880	0.689	0.536	0.417	
0.870	0.682	0.530	0.412	
0.868	0.675	0.525	0.408	
0.860	0.668	0.518	0.404	
0.851	0.662	0.515	0.400	
0.842	0.655	0.509	0.396	
0.834	0.649	0.504	0.392	
0.826	0.642	0.499	0.388	
0.817	0.636	0.494	0.384	
0.809	0.629	0.489	0.381	
0.801	0.623	0.484	0.377	
0.793	0.617	0.480	0.373	
0.785	0.611	0.475	0.369	
0.777	0.605	0.470	0.366	


 सचिव निदेशकारी (वि. व. व. व.)
 सचिव सिंह नगर

सामान्य निर्देशिका:-

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड के दिनांक-12 जनवरी 2018 पत्रांक संख्या-27 (1)/2018/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 के निर्देश के क्रम में सामान्य निर्देशिका:-

1. यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-

- (क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 5 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा.
- (ख) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा.
- (ग) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा.
- (घ) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा.

2. वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।

3. शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिसमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियाँ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्गत सम्मिलित में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथम तल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत की छूट देय होगी। तथा तृतीय तल एवं ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

4. ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्न खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।

5. एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तर्गत विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः- 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

6. 1000 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी। परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।

7. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आर्थनिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियाँ हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप

4

1
सचिव, निर्देशिका (वि. 108)

में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निषादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निषादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।

8. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के खसरा नम्बरान की सूची जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित दूरी के मानक के अनुसार सर्किल दर सूची में संलग्न की जायेगी तथा उक्त में अंकित खसरा नम्बरान की दूरी के आधार पर लेखपत्रों के द्वारा अन्तर्गत भूमि/सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त से अथवा दूरी प्रदर्शित कर मूल्यांकन किये जाने की स्थिति में लेखपत्र की प्रति स्तम्भ एकट के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत परीक्षण की कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी।

9. कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर अंकलित दर से होगा।

10. किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

11. बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित पलैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

12. विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में स्वीकृत प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो, उसका विलेख में उल्लेख में किया जाना अनिवार्य होगा, एवं ऐसे स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लाईसेन्स प्राप्त झपटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। एवं जिस भवन का निर्माण बहुत पुराना हो तथा उसकी स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न हो, उस दशा में लाईसेन्स झपटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में लिन्टर पोश, टीनपोश अथवा पलैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

13. पलैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप ऑफ पलैट एक्ट-1975 (यथा संशोधित यथा उल्लेख्यपत्र में लागू) के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।

14. भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तर्गत भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि अन्तर्गत भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां/मौहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।

15. वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में कोई हास मूल्य देय नहीं होगा।

16. भवनों की आयु निर्धारित के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य हास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। पलैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।

17. भूमि/सम्पत्ति बाइण्ड्री वॉल के स्थित होने पर रूपया 1000/- रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

18. भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन रूपये-25000.00 प्रति बोरिंग की दर से पृथक से किया जायेगा।

19. टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।

20. किसी भी औद्योगिक इकाई में में निहित निर्माण का मूल्यांकन, निर्माण की प्रकृति यथा लिन्टर पोश, टीनपोश निर्माण हेतु मूल्यांकन सूची में अंकित दर के अनुसार किया जायेगा।

21. किसी भी औद्योगिक इकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्लूड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।

4

22. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थानों पर निर्धारित है तो उच्चतम दर प्रभावी होगी।
23. मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो सभीपरस्व स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
24. मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहाँ से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्ताम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्ताम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
25. किसी विलेख पर स्ताम्प शुल्क की प्रभावता या उस पर प्रभाव शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
26. मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।
 - (i) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र, 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (ii) विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (iii) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने का स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1. दुकान, 2. रेस्टोरेन्ट, 3. कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आव्यज्योदित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (iv) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खता संख्या/बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की विन्द्वीकरण हेतु वर्णित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित कृषि/अकृषि भूमि/सम्पत्ति का भानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (v) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित संड़क-सड़कों/मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (vi) पक्षकारों द्वारा अंतरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्ताम्प एक्ट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। जो विलेख का वाग माना जायेगा।


 (जगदीश चन्द्र काष्ठपाल)
 अध्यापक, शिक्षाधिकारी,
 उच्च शिक्षा विभाग,
 उद्यम सिंह नगर।

आदेश

सचिव विलत उत्तराखण्ड शासन देहरादून विलत अनुभाग-9 के पत्र संख्या 27/2018/27(9)/स्टाम्प-80/2008 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी निदेश तथा महाविश्वविद्यालय विलत उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1020/मणिनि0/2017-18 दिनांक 12.01.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड सम्प्रति का मूल्यांकन नियमावली 2015 के अनुसार कार्यालय के पत्र संख्या 626/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2016-17 दिनांक 19.08.2016 द्वारा पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची जो दिनांक 19.08.2016 से प्रभावी है, को संशोधित करते हुए जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित तहसीलवार भूमि एवं भवनों (सम्पत्ति) की दरों का स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क मुगलान के प्रयोजन हेतु संशोधित मूल्यांकन सूची शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में संशोधित की जाती है, जो आज दिनांक 14.01.2018 से प्रभावी होगी।

(डॉ० नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
ऊधमसिंहनगर

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर, ऊधमसिंहनगर।

पत्र संख्या-529/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2017-18 दिनांक - 14 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विलत (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विलत (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महाविश्वविद्यालय, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, युमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. रामरत उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/उपनिबन्धक, ऊधमसिंहनगर।
8. रामरत अधिशासी अधिकारी/नगर निगम/नगर पालिका परिषद/छावनी क्षेत्र/नगर पंचायत, ऊधमसिंहनगर।
9. जिला निबन्धक/सहायक आयुक्त स्टाम्प, ऊधमसिंहनगर।
10. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
11. कार्यालय प्रति।

(जगदीश चन्द काष्ठपाल)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
ऊधमसिंहनगर।

नगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

(15)

क्र०	प्रमुख मार्ग/मोहो/राजपथ मार्गों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहो/राजपथ मार्गों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर को लागू करें)	सामान्य दर (Base Rate)						
				अकृषि / आवासीय भूमि को दर (को प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	हिलीय श्रेणी दीन पोश
				सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		दुकान/शेल्ड/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (रिजिस्ट्रेशन)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1क	(क) 1-सम्पूर्ण-नैनीताल प्रांतीय राज मार्ग- 01 (नगर पालिका के अन्तर्गत)	मौनाइस्लानगर (1)-मजराप्रभु बार्ड न०-01 (2)-रेलवे कालोनी बार्ड न०-06 मिस्सीर मुण्डिया (1)-ईदराह बार्ड न०-02 (2)-मुडिया मिस्सीर बार्ड न०-05 (3)-दीनी मिल बार्ड न०-10 (4)-सुभाष नगर बार्ड न०-08 मुण्डिया काला (1)-दीनी मिल बार्ड न०-10 चक्रपुर (आलापुर) (1)-समसवन बार्ड न०-03 (2)-गोबदीनगर बार्ड न०-04	423	8200	8100	21200	24500	23900	12000	7000
	2-समसवन रोड (लिक मार्ग) (नगर पालिका के अन्तर्गत)	मौनाइस्लानगर (1)-संजयनगर बार्ड न०-07 (2)-दीन भन्सिर बार्ड न०-11 (3)-मजराबला बार्ड न०-09	423	9200	8100	21200	24500	23900	12000	7000
	3-बेरिया-सौलत लिंक मार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	धकरपुर (आलापुर) (1)-समसवन बार्ड न०-03 (2)-गोबदीनगर बार्ड न०-04	423	9200	8100	21200	24500	23900	12000	7000

अध्यक्ष/नगरपालिकाारी (वि./स.)
उद्यम सिंह नगर !

नगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

19

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग/मोहो/राजस्व मार्गों के नाम	प्रमुख मार्ग/मोहो/राजस्व मार्गों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रू० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)						
				अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन पोरा
01	02	03	04	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	07	08	09	10	11
2	सामपुर-नैनीताल प्रांतीय राजमार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	मौनाइस्लामनगर चौक नं०-12 मुण्डिया विस्तार बुलसा छात्रावास वार्ड नं०-18	100	9000	8300	21000	24300	23700	12000	7000
3	सामपुर-नैनीताल प्रांतीय राजमार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	1-ताली बुलसा छात्रावास वार्ड- 18 2-महेसपुर दोसहा वार्ड नं०-17 (आंशिक)	90	8700	7300	20700	24000	23400	12000	7000
4	सामपुर-नैनीताल राजमार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	1-हरलालपुर दोसहा वार्ड नं०-17 (आंशिक) 2-खमरिया राजीवनगर वार्ड नं०-20 (आंशिक)	90	8700	7300	20700	24000	23400	12000	7000
5	सामपुर-नैनीताल राजमार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	चक्रपुर आंशिक चक्रपुर वार्ड नं०-19 राजीवनगर वार्ड नं०-20 (आंशिक)	85	8900	8000	20900	24200	23600	12000	7000
8	सामराज रोड लिंक मार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	1- मन्दपुरनरका टोपा (1)नन्दपुर वार्ड नं०-13 (2)मरियमपुर वार्ड नं०- 14	66	7500	6600	19500	22700	22100	12000	7000

अपर विभागाधिकारी (वि.प.)
उद्यम सिंह नगर

नगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

20

क्र.सं. संख्या	प्रमुख मार्ग / मोहो / मार्ग / सराय / ग्रामों को सेवा	प्रमुख मार्ग / मोहो / सराय ग्रामों के नाम	समाविष्ट ग्राम	कुल भूमि (प्रति हेक्टेयर रु० लाख से)	सामान्य दर (Base Rate)							
					अकृषि / आवासीय भूमि को दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	अन्य भूमि (रिजिस्ट्रार से)	ग्राम भूमि (रिजिस्ट्रार से)	हिंसीय भूमि (रिजिस्ट्रार से)
01	02	03	04	05	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक						
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2	(क)	काशीपुर-रुद्रपुर मार्ग NH-74 (अन्तर्गत नगर पंचायत)	1- नगरपंचायत कोलाखेडा (1) कोलाखेडा (2) मडैया रस्ता 1- मुल्लिस थाना (वाडी) 2- गांधीनगर (वाडी) 3- मुजफ्फरनगर (वाडी) 4- जामा मस्जिद (वाडी) 5- कादरी मस्जिद (वाडी) 6- फिदा नगर (वाडी) 7- आजादनगर (वाडी) 8- रस्ता मडैया (वाडी) 9- शास्त्रीनगर (वाडी)	90	8300	7700	20500	23500	22900	12000	7000	
3	(क)	काशीपुर-रुद्रपुर मार्ग NH-74 (अन्तर्गत नगर पंचायत)	1- नगरपंचायत सुल्तानपुर (1) सुल्तानपुर (2) जगन्नाथपुर 1- शिवनगर (वाडी) 2- गांधीनगर (वाडी) 3- टाण्डा बजारा (वाडी) 4- नैतानगर (वाडी) 5- श्यामनगर (वाडी) 6- आर्यनगर (वाडी) 7- आदर्शनगर (वाडी)	90	8300	7700	20300	23500	22800	12000	7000	

✓

उपम रिजि. नगर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

(21)

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मोड़ / राजस्व मार्ग / ग्रामी क्षेत्री	प्रमुख मार्ग / मोड़ / राजस्व मार्गों के नाम	समाविष्ट प्रांत	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लक्षों में)	सामान्य दर (Base Rate)			बहुमंजरीय आवासीय मकान में स्थित आवासीय परिसर प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक मकान की दर (गुफर परिसर प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					अर्द्ध / आवासीय भूमि की दर (लक्ष प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक से अधिक	सड़क से 100 मी० से अधिक		दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिटरपोश)	द्वितीय श्रेणी टीन पोश
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	(क)	काशीपुर-खदपुर मार्ग NH-74	1-मुल्तानपुर 2-जगन्नाथपुर 3-दिमलिया	87	8200	7200	20200	22500	21900	12000	7000	
		काशीपुर-खदपुर मार्ग NH-74	1-कनौरी 2-कनौरा	81	7900	7200	19900	22200	21600	12000	7000	
		काशीपुर-खदपुर मार्ग NH-74	1-ताली 2-महेरापुरा	76	8200	7200	20200	22500	21900	12000	7000	
		काशीपुर-खदपुर मार्ग NH-74	1-कैलाखड़ा	82	8200	7200	20200	22500	21900	12000	7000	
		काशीपुर-खदपुर मार्ग NH-74	1-महम्यारतना 2-बिजपुरी 3-टांडा आलम	82	7800	7200	19800	22000	21400	12000	7000	

अपर विभागाधिकारी (वि. /
उद्यम सिंह नगर !

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

22

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्भावित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रकम लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)			वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रकम प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	वाणिज्यिक भवन में स्थित आवासीय	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिटलरफा)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2	(क)	समपुर-नैनीताल राजमार्ग	1- चकरपुर	91	8900	8000	20900	23300	22700	12000	7000
	(ख)	समपुर-नैनीताल राजमार्ग	1- हरलालपुर 2- खमरिया	80	8800	7200	20600	23000	22400	12000	7000

अप्रम सिद्धाधिकारी (नि.रा.)
उपप्रम सिंह नगर

अर्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

22

क्रम क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मौज / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौज / राज स्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर को लाख में)	सामान्य दर (Basic Rate)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (ला प्रति वर्ग मीटर)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (ला प्रति वर्ग मीटर)		दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटपाथ)	द्वितीय श्रेणी टीन पोश
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2	(ग)	रामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1-दियोदरी	48	7400	6500	19400	21600	21000	12000	7000
	(घ)	रामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1-नेमुना 2-हजीरा 3-हुलसनगंज 4-बरहैनी	41	6100	5400	18100	20200	19600	12000	7000
	(ङ)	रामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1-हरीपुर 2-खुर्सेटा	41	5800	5000	17600	19700	19100	12000	7000
	(च)	रामपुर-नैनीताल राजमार्ग	1-महाबपुर	27	5100	4500	17100	19100	18500	12000	7000

5

4/1/18

मुख्य विकास अधिकारी (प.न. एवं
स.स. विभाग, बाजपुर)

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

24

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मोड़ / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोड़ / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कुल भूमि क्षेत्र (प्रति हेक्टर पर 100 लाख में)	सामान्य दर (Basic Rate)		बाहुल्यपूर्ण आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट (सुपर प्रॉपर्टी वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर प्रॉपर्टी वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रॉपर्टी वर्ग मीटर)	
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० से अधिक		दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिक्चरघरा)	द्वितीय श्रेणी (दीन घोरा)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3	(क)	रामराज रोड सिक मार्ग	1-केशीवाला 2-सानीनाल	48	7400	6500	18400	21600	21000	12000	7000
	(ख)	रामराज रोड सिक मार्ग	1-विक्रमपुर	69	7400	6500	19400	21600	21000	12000	7000
	(ग)	रामराज रोड सिक मार्ग	1-किसानपुर 2-रतनपुरी 3-रतनपुरा	48	6000	5500	18000	20100	19500	12000	7000
	(घ)	रामराज रोड सिक मार्ग	1-बाजपुर खास	48	5500	5200	17500	19500	18900	12000	7000

✓

24/11/18

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

25

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / चौक / बाजार / ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / चौक / बाजार व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कुछ भूमि (प्रति हेक्टेयर १०० लाख में)	सामान्य दर (Basic Rate)		बहुसंजीवीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परलैट (ग्राम एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (ग्राम एरिया प्रति वर्ग मीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					अवधि / आवासीय भूमि की दर (१०० प्रति वर्ग मीटर)	अवधि से १०० तक		दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टरगेश)	द्वितीय श्रेणी टीन पोश
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3	(ह)	समराज रोड लिंक मार्ग	1-फरीदपुर 2-नारायणपुर	24	5300	4500	17300	19300	18700	12000	7000
	(च)	समराज रोड लिंक मार्ग	1-गुलाहिया 2-गुलाहिया पोखरा	21	4000	3500	16000	17900	17300	12000	7000

अपने विकासकारों (वि. सं.)
उपस्थिति में

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

26

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग/ सीडो/ राजस्व ग्रामों की क्षेत्री	प्रमुख मार्ग/सीडो/रा जस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रु० लाख में)	सामान्य दर (Basic Rate)		अर्द्धनगरीय अवस्थायी भवन से स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	हितीय क्षेत्री दीन पोरा
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० से अधिक सड़क से 100 मी० तक		दुकान/ स्टोरेज/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
4	(क)	बन्नाखेड़ा लिंक मार्ग	1-इकधरा	48	7400	6500	18400	21600	21000	12000	7000
	(ख)	बन्नाखेड़ा लिंक मार्ग	1-ईटा 2-बन्नाखेड़ा 3-भारनगंज	48	5800	5200	17800	19800	19300	12000	7000
	(ग)	बन्नाखेड़ा लिंक मार्ग	1-टांडा अमीचन्द 2-खुशालपुर	21	4000	3600	16000	17800	17300	12000	7000

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

(25)

क्रम (संख्या)	प्रमुख मार्ग / मौख / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौख / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर को लाख में)	साधारण दर (Base Rate)			वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर परिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (को प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर परिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / शेडरूम / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिट्रफो र)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
5	(क)	शेरियादौलत लिंक मार्ग	चकरपुर	91	8900	8000	20900	23300	22700	12000	7000
	(ख)	शेरियादौलत लिंक मार्ग	लखनपुर	73	8200	7500	20200	22500	21900	12000	7000
	(ग)	शेरियादौलत लिंक मार्ग	नरखेडा	50	7300	5500	19300	21500	20900	12000	7000

अपर निदेशिका (वि./रा.
उद्यम सिंह नगर !

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

28

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग/ मौजो/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौजो/राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर का राजस्व में)	सामान्य दर (Base Rate)						
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजरीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		दुकान/ रेस्तरेंट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		प्रथम श्रेणी (लिनटयार्ड)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
5	(घ)	बेरियादोलत लिंक मार्ग	1-मजुवानगला	26	5300	4500	17300	18300	18700	12000	7000
	(ङ)	बेरियादोलत लिंक मार्ग	1-ब्रह्मपुर 2-शिवपुरी	28	5300	4500	17300	18300	18700	12000	7000
	(च)	बेरियादोलत लिंक मार्ग	1-बासहेड़ी 2-बासहेड़ा	21	4000	3500	16000	17900	17300	12000	7000
	(छ)	बेरियादोलत लिंक मार्ग	1-बेरियादोलत	30	5800	5200	17800	19900	19300	12000	7000

✓

अध्यक्ष महानगरपालिका (पे. 11/16)
उत्तरम सिंह नगर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

29

क्रम नं०	प्रमुख मार्ग / मौहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौहो / राज स्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर र लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)			वाणिज्यिक भवन की दर			गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	हुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर्पावेश)	द्वितीय श्रेणी टीन पोश
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
6	(क)	मलौरिया रोड लिक मर्गा	1-मुण्डिया अनी 2-धनसारा 3-मुण्डिया मनी	52	7400	6500	19400	21600	21000	12000	7000	
	(ख)	मलौरिया रोड लिक मर्गा	1-गुनसानी	42	5800	5200	17800	19800	19300	12000	7000	
7		छोई लिक मर्गा	1-सरकडा 2-बुधपुरा 3-कचगान	23	4300	4100	16300	18200	17600	12000	7000	

21.11.16
सहायक सिविल अभियंता
बाजपुर तहसील

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्र.सं. विकास	प्रमुख मार्ग / मौजो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौजो / राजस्व य ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रु० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)			बहुमंजिलीय आवासीय ग्रामों में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		दुकान / रेस्तरांट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
8	(क)	महैया हट्ट लिक मार्ग	हरसान	41	4900	4500	16900	18900	18300	12000	7000
	(ख)	महैया हट्ट लिक मार्ग	1-भापकनाला 2-टांडा एरिमान	26	3800	3500	15800	17700	17100	12000	7000
	(ग)	महैया हट्ट लिक मार्ग	महैया हट्ट	24	3800	3500	15800	17700	17100	12000	7000
9		नई सड़क लिक मार्ग	1-भीकभपुरी 2-खम्हारी 3-महोली जंगल 4-महोली बोन	26	4300	4100	16300	18200	17600	12000	7000

4

3817 5113 7000

4/11/19

20

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम क्षेत्र	प्रमुख मार्ग / मौजो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मौजो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रू० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपरफ़ैसिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	दुकान / शेडरूम / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिटलरपोथ)	द्वितीय श्रेणी टीन पोथ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
10	(क)	अन्य विशिष्ट ग्राम	1-भवानगला 2-कतौहपुर 3-कल्याणपुर 4-मझ्या कायन 5-केलाबन्वारी 6-इटवा 7-रम्पुरा शाकर 8-बन्वारी 9-बेनीरामपुर	26	4500	4300	16500	18500	17900	12000	7000
	(ख)	अन्य विशिष्ट ग्राम	1-बिराहा	30	4700	4300	16700	18800	18000	12000	7000
	(ग)	अन्य विशिष्ट ग्राम	मुकन्दपुर	25	4000	3600	16000	17900	17300	12000	7000
	(घ)	अन्य विशिष्ट ग्राम	गनेशपुर	25	4000	3600	16000	17900	17300	12000	7000

अध्यक्ष तहसील कार्यालय बाजपुर
उपम सिक नगर

ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर

31

कुन संकेत या	प्रमुख मार्ग / मोहो / रा जस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहो / रा जस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	सामान्य दर (Base Rate)							
				कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रू० लाख से)	अकृषि / आवासीय भूमि (रू० प्रति वर्ग मीटर)	वहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटयथो)	द्वितीय श्रेणी टीन पोरा
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
11	क	ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर	1-उद्वियानी जंगल 2-उद्वियानी दूली 3-गजरीला 4-गुलजारीपुर	20	3800	3500	15600	16200	15600	12000	7000

अथवा निम्नलिखित (दि. / रा.)
संलग्न सिमेंट नगर !

(Handwritten signature)

ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / सौहार्द राजस्व ग्रामी की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / सौहार्द / राजस्व ग्रामी के नाम	सम्बन्धित ग्राम	सामान्य दर (Base Rate)							
				कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर कर लागू में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (कर प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन पोश
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
11	रख	ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर	1-गोबरा 2-गंगापुर 3-चनकपुर 4-छिलरी 5-जगतपुर 6-जोगीपुर 7-विजयपुर 8-बैतवेडी 9-मजराकुशालपुर 10-मड्यागुलजारी 11-मड्या बरसी 12-मलकपटपुर 13-मड्यादवा 14-महताबन 15-महुवाजाली 16-रजपुर नं०-1 17-रजपुर नं०-2 18-रमपुराकाजी 19-सैरिया	20	3800	3500	15800	16200	15600	12000	7000

★

अपर विभागाधिकारी (वि./रा)
उद्यम सिंह नगर !

ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर

34

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रू० लाख में)	अकृषि / अवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिटर्स/घ०)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
11	ग	ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाजपुर	1-सामजीवनपुर 2-समनगर 3-सकुवा 4-श्रीकान्ताला 5-सैमलपुरी 6-सन्तोषपुर 7-सरकड़ी 8-सिहाली 9-सौदनगंज 10-हिरदयपुर 11-कटीलाबाँझ 12-चन्दनपुरा 13-सहोला 14-टांडाखैम 15-टांडाकमरूद 16-दोबुसा 17-नूरपुर 18-पटोटी 19-बनाढ 20-बरवाला 21-बनाखेड़ा सामी 22-बाजवाला 23-विजयनगरिया 24-हकी	20	3800	3500	15800	16200	15600	12000	7000

5

अपर प्रशासिक कारी (वि. / २१)
उत्तर सिंह तार !

जनपद-उधमसिंहनगर में औद्योगिक भूमि की दरें-

नगरीय क्षेत्र	3500 रु० प्रति वर्गमीटर
अर्द्धनगरीय क्षेत्र	2500 रु० प्रति वर्गमीटर
ग्रामीण क्षेत्र	1500 रु० प्रति वर्गमीटर
निर्माण की दरें	7000 रु० प्रति वर्गमीटर

नोट-1. औद्योगिक दरें में मार्गीय वृद्धि देय नहीं होगी।

2. उप निबन्धक काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत महुआखेड़ागंज नगरपालिका की औद्योगिक दरें 2500 रु० प्रति वर्गमीटर प्रभावी होंगी।

★

उप निबन्धक काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत महुआखेड़ागंज नगरपालिका की औद्योगिक दरें 2500 रु० प्रति वर्गमीटर प्रभावी होंगी।

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका फार्मुला निम्नलिखित है :-
नोट:- क्षरण की निम्न सापेक्षी भवन की अनुमानिता आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में क्षर लोका निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :- $D = P(1 - RD/100)^N$ $RD = \frac{\text{भवन की औसत आयु}}{100}$

100

D = क्षर मूल्य (Depreciated Value) P = वर्तमान मूल्य N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)									
1 वर्ष	26 वर्ष	51 वर्ष	76 वर्ष	101 वर्ष	126 वर्ष	151 वर्ष	176 वर्ष	201 वर्ष	226 वर्ष
0.990	0.770	0.598	0.465	0.366	0.288	0.225	0.175	0.135	0.102
0.980	0.762	0.592	0.461	0.364	0.286	0.223	0.173	0.133	0.100
0.970	0.754	0.587	0.456	0.361	0.283	0.220	0.170	0.130	0.098
0.960	0.747	0.581	0.452	0.358	0.280	0.217	0.167	0.127	0.095
0.950	0.739	0.575	0.447	0.354	0.276	0.213	0.163	0.123	0.092
0.941	0.731	0.569	0.443	0.350	0.272	0.209	0.159	0.119	0.089
0.932	0.724	0.563	0.438	0.346	0.268	0.205	0.155	0.115	0.086
0.927	0.717	0.558	0.434	0.342	0.264	0.201	0.151	0.111	0.083
0.913	0.710	0.552	0.429	0.338	0.260	0.197	0.147	0.107	0.080
0.904	0.703	0.547	0.425	0.334	0.256	0.193	0.143	0.103	0.077
0.890	0.696	0.541	0.421	0.330	0.252	0.189	0.139	0.099	0.074
0.880	0.689	0.536	0.417	0.326	0.248	0.185	0.135	0.095	0.070
0.870	0.682	0.530	0.412	0.322	0.244	0.181	0.131	0.091	0.067
0.868	0.675	0.525	0.408	0.318	0.240	0.177	0.127	0.087	0.064
0.860	0.668	0.518	0.404	0.314	0.236	0.173	0.123	0.083	0.061
0.851	0.662	0.515	0.400	0.310	0.232	0.169	0.119	0.079	0.058
0.842	0.655	0.509	0.396	0.306	0.228	0.165	0.115	0.075	0.055
0.834	0.649	0.504	0.392	0.302	0.224	0.161	0.111	0.071	0.052
0.826	0.642	0.499	0.388	0.298	0.220	0.157	0.107	0.067	0.049
0.817	0.636	0.494	0.384	0.294	0.216	0.153	0.103	0.063	0.047
0.809	0.629	0.489	0.381	0.290	0.212	0.149	0.099	0.059	0.045
0.801	0.623	0.484	0.377	0.286	0.208	0.145	0.095	0.055	0.043
0.793	0.617	0.480	0.373	0.282	0.204	0.141	0.091	0.051	0.041
0.785	0.611	0.475	0.369	0.278	0.200	0.137	0.087	0.047	0.039
0.777	0.605	0.470	0.366	0.274	0.196	0.133	0.083	0.043	0.037


 सचिव निगमकारी (वि. १९७१)
 सचिव सिंह नगर

सामान्य निर्देशिका:-

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड के दिनांक-12 जनवरी 2018 पत्रांक संख्या-27 (1)/2018/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 के निर्देश के क्रम में सामान्य निर्देशिका:-

1. यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-

- (क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 5 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (ख) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (ग) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (घ) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,

2. वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।

3. शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिसमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियाँ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्गत सम्मिलित में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथम तल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत की छूट देय होगी। तथा तृतीय तल एवं ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

4. ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्न खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।

5. एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तर्गत विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः- 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

6. 1000 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी। परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।

7. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आर्थनिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियाँ हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप

4

1
सचिव सचिव नगर

में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निषादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निषादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।

8. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के खसरा नम्बरान की सूची जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित दूरी के मानक के अनुसार सर्किल दर सूची में संलग्न की जायेगी तथा उक्त में अंकित खसरा नम्बरान की दूरी के आधार पर लेखपत्रों के द्वारा अन्तर्गत भूमि/सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त से अथवा दूरी प्रदर्शित कर मूल्यांकन किये जाने की स्थिति में लेखपत्र की प्रति स्तम्भ एकट के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत परीक्षण की कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी।

9. कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर अंकलित दर से होगा।

10. किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

11. बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित प्लैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

12. विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में स्वीकृत प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो, उसका विलेख में उल्लेख में किया जाना अनिवार्य होगा, एवं ऐसे स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लाईसेन्स प्राप्त झपटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। एवं जिस भवन का निर्माण बहुत पुराना हो तथा उसकी स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न हो, उस दशा में लाईसेन्स झपटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में लिन्टर पोश, टीनपोश अथवा प्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

13. प्लैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप ऑफ प्लैट एक्ट-1975 (यथा संशोधित यथा उल्लेख्य पड में लागू) के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।

14. भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तर्गत भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि अन्तर्गत भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां/मौहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।

15. वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में कोई हास भूल्य देय नहीं होगा।

16. भवनों की आयु निर्धारित के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य हास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। प्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।

17. भूमि/सम्पत्ति बाइण्ड्री वॉल के स्थित होने पर रूपया 1000/- रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

18. भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन रूपये-25000.00 प्रति बोरिंग की दर से पृथक से किया जायेगा।

19. टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।

20. किसी भी औद्योगिक इकाई में में निहित निर्माण का मूल्यांकन, निर्माण की प्रकृति यथा लिन्टर पोश, टीनपोश निर्माण हेतु मूल्यांकन सूची में अंकित दर के अनुसार किया जायेगा।

21. किसी भी औद्योगिक इकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्लूड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।

4

22. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थानों पर निर्धारित है तो उच्चतम दर प्रभावी होगी।
23. मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो सभीपरस्व स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
24. मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहाँ से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्ताम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्ताम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
25. किसी विलेख पर स्ताम्प शुल्क की प्रभावता या उस पर प्रभाव शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
26. मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।
 - (i) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र, 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (ii) विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (iii) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने का स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1. दुकान, 2. रेस्टोरेन्ट, 3. कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आव्यज्यदित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (iv) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खता संख्या/बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की विन्द्वीकरण हेतु वर्णित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित कृषि/अकृषि भूमि/सम्पत्ति का भानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (v) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित संड़क-सड़कों/मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (vi) पक्षकारों द्वारा अंतरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्ताम्प एक्ट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। जो विलेख का वाग माना जायेगा।


 (जगदीश चन्द्र काष्ठपाल)
 जिलाधिकारी,
 उधम सिंह नगर।
 दि. / रा.

आदेश

सधिव वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून वित्त अनुभाग-9 के पत्र संख्या 27/2018/27(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी निदेश तथा महानियरीषक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1020/म0नि0नि0/2017-18 दिनांक 12.01.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 2015 के अनुसार कार्यालय के पत्र संख्या 826/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2016-17 दिनांक 18.08.2016 द्वारा पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची जो दिनांक 18.08.2016 से प्रभावी है, को संशोधित करते हुए जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित तहसीलवार भूमि एवं भवनों (सम्पत्ति) की दरों का स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क भुगतान के प्रयोजन हेतु संशोधित मूल्यांकन सूची शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में संशोधित की जाती है, जो आज दिनांक 14.01.2018 से प्रभावी होगी।

(डॉ० नीरज खैरवाज)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
ऊधमसिंहनगर

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर, ऊधमसिंह नगर।

पत्र संख्या-529/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2017-18 दिनांक - 14 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि-निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, वित्त (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सधिव, वित्त (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानियरीषक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/उपनिबन्धक, ऊधमसिंहनगर।
8. सम्पत्ति अधिशासी अधिकारी/नगर निगम/नगर पालिका परिषद/छावनी क्षेत्र/नगर पंचायत, ऊधमसिंहनगर।
9. जिला निबन्धक/सहायक आयुक्त स्टाम्प, ऊधमसिंहनगर।
10. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
11. कार्यालय प्रति।

(जगदीश शर्मा काण्डवाल)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
ऊधमसिंहनगर।

निबन्धन उप जिला जसपुर (उधमसिंहनगर) की प्रस्तावित सर्किल दरे

निबन्धन उप जिला जसपुर नगर पालिका क्षेत्र (वह क्षेत्र जो पूर्व से ही नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत था)

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / बार्ड / मोहल्लों का नाम	बार्ड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर									
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक			
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक		व्यवसायिक दर	अन्य वाणिज्यिक प्रति सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिन्डर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14		
1	काशीपुर से जसपुर-अफजलगढ़ मार्ग (लंपकना पुल से होटल रेडीसन तक)												
क	जसपुर पट्टी तिरमल, जसपुर पट्टी मंशा, जसपुर पट्टी उत्तम, अमृतपुर-बार्ड नं० 08,11,12,02,13	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000			
2	जसपुर बूतपुरी मार्ग (ठाकुरद्वारा बस स्टैण्ड से कासमपुर मोड़ तक)												
क	मौजा जसपुर पट्टी नेतराम बार्ड नं० 03	500 लाख	12200	11000	13420	24200	28420	25420	12000	7000			
3	जसपुर पतरामपुर मार्ग (लकड़ी मण्डी चौक से आवास विकास की आखिरी सीमा तक)												
क	मौजा अमृतपुर-बार्ड 11, (जो खसरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है)	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000			


 उपर विभागाध्यक्ष की
 सहाय सहाय

निबन्धन उप जिला जसपुर नगर पालिका क्षेत्र (वह क्षेत्र जो पूर्व से ही नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत था)

2

प्रमुख भागाँ / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख भागाँ / वार्ड / मोहल्लों का नाम	वार्ड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर									
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक			
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक	व्यवसायिक		व्यवसायिक सुपर एरिया दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोरा)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोरा)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14		
4	जसपुर से भगवन्तपुर मार्ग (जिनता धर्म कौटा से टेलीफोन/बिजली घर तक)												
क	मौजा जसपुर पट्टी तिरमल, जसपुर पट्टी उत्तम-वार्ड नं०-12		500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		
5	जसपुर से ठाकुरद्वारा मार्ग (ठाकुरद्वारा चुंगी मोड़ से परिणय वाटिका होते हुये स्व. श्री बाबू सिंह चौहान एडवाकेट के दफ्तर बेल तक)												
क	जसपुर पट्टी नेतराम-वार्ड नं० 03		500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		

उपम सिंह नगर

निबन्धन उप जिला जसपुर नगर पालिका क्षेत्र (बह क्षेत्र जो पूर्व से ही नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत था)

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वाहों / मोहल्लों का नाम	वाहों / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर									
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक			
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक		अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (सिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14		
1	जी.जी.आई.सी. से सरकारी अस्पताल होते हुए घास मण्डी तक												
क	जसपुर पट्टी कल्याण, अमृतपुर												
	भूप सिंह, जुलाहान, दिल्ली सिंह	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000			
	वाह नं0 4,7,8,												
2	सुभाष चौक से जैन मेडीकल होते हुये ठाकुर मंदिर तक												
क	मौजा अमृतपुर, जसपुर पट्टी तिरमल												
	अमृतपुर, मो. भूप सिंह, मो. बाजार,	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000			
	दिल्ला सिंह, वाह नं0 08,09,01												
3	ठाकुर मंदिर से अफजलगढ़ चौराहे तक												
क	जसपुर पट्टी मंशा												
	मो. गुजरतियान, नत्था सिंह, वाह नं0 03,02	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000			

अपर प्रिंसिपल कारी ()
सहम सिंह जगल

निम्नानुसृत पंच जिला जसपुर नगर पालिका क्षेत्र (पह क्षेत्र जो पूर्व से ही नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत था)

प्रमुख मार्गों/मोहल्लों का नाम	प्रमुख मार्गों/मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर										
			भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		वाणिज्यिक भवन वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर		ग्राम श्रेणी (लिट्टर पोश)	
			0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक	व्यवसायिक	आवासीय प्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	व्यवसायिक सुपर एरिया दर	वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिट्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14		
4	गुरुनानक स्वीट शॉप से शक्को वाली मस्जिद होते हुये सार्जी नगड़ी तक												
क	मौजा अमृतपुर, जसपुर पट्टी कल्याण												
	मो. भूप सिंह, मो. बाजार, वार्ड नं० 08,07	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000			
5	पलरामपुर चौराहे से जैन मेडिकल स्टोर तक												
क	मौजा जसपुर पट्टी उत्तम, जसपुर पट्टी तिरमल												
	छोपियान, नई बस्ती वार्ड नं० 09,11	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000			
6	ठाकुरद्वारा बस स्टैंड से पट्टी चौहान वाली जामा मस्जिद तक												
क	जसपुर पट्टी नेतराम												
	मो. गुजरातियान, जसपुर पट्टी चौहान वार्ड नं. 03,05,06	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000			


 उपर लिखितानुसार
 सचिव जिला जसपुर

निम्नानु उप जिला जसपुर नगर पालिका क्षेत्र (वह क्षेत्र जो पूर्व से ही नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत था)

5

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वाडों / मोहल्लों का नाम	वाडों / मोहल्लों के नाम	सामान्य दर									
			भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक			
			0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक		व्यवसायिक दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिनडर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	
7	शर्मा बुक डिपो से सक्की मण्डी तक											
क	मौजा जसपुर पट्टी कल्याण											
	मो. बाजार, मो. भूप सिंह, वाड नं. 08	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		
8	जनता धर्मकांटे से ठाकुर मन्दिर तक											
क	मौजा जसपुर पट्टी तिरमल, जसपुर पट्टी उत्तम, जसपुर पट्टी मंशा											
	नई बस्ती, छीमियान, नरथा सिंह, दिल्ला सिंह वाड नं 01, 2, 10, 01	500 लाख	12200	11000	13420	24200	35320	31420	12000	7000		

उपर लिखितकारी (वि. उपर सिंह भण्डारी)

निबन्धन छप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (बह क्षेत्र जो पूर्व में अर्द्धनगरीय क्षेत्र में था अब नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित है)

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वाहों / मोहल्लों का नाम	वाहों / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर									
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक			
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक	व्यवसायिक		अन्य	श्रेणी	द्वितीय श्रेणी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1).	काशीपुर-जसपुर-अफजलागढ़ मार्ग												
	गांगुवाला, अमृतपुर, तीरगढ़ी, जसपुर पट्टी मंशा, जसपुर पट्टी उत्तम, जसपुर पट्टी उत्तम,		200 लाख	5000	4500	5500	17000	24100	20500	12000	7000		
2).	जसपुर-मूलपुरी मार्ग												
	जसपुर पट्टी मंशा, जसपुर पट्टी नेतराम		200 लाख	5000	4500	5500	17000	24100	20500	12000	7000		
3).	जसपुर-एतरमपुर मार्ग (बड़े मन्दिर से अमृतपुर की अन्तिम सीमा तक)												
	जसपुर पट्टी अमृतपुर		200 लाख	5000	4500	5500	17000	24100	20500	12000	7000		
4).	जसपुर-भगवन्तपुर-अमानगढ़ मार्ग (कैज-ए-आम इण्टर कॉलेज होते हुये बिजली घर / टेलीफोन एक्सचेंज तक)												
	जसपुर पट्टी उत्तम, जसपुर पट्टी तिरमल		200 लाख	5000	4500	5500	17000	24100	20500	12000	7000		
5).	जसपुर-ठाकुरदारा मार्ग												
	जसपुर पट्टी नेतराम		200 लाख	5000	4500	5500	17000	24100	20500	12000	7000		

अपर विभागाधिकारी
उधम सिंह नगर

निवृत्तन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (नगर पंचायत क्षेत्र महुवाडाबरा/हरिपुरा)

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों का नाम	वाड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर									
			भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर		प्रथम श्रेणी (लिनडर पोश)	
			0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक		व्यावसायिक सुपर एरिया दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	
सुरजनगर मार्ग (हरिपुरा महुवाडाबरा से देवीपुरा तक)												
क	महुवाडाबरा (राजस्व ग्राम)											
	हरिपुरा (राजस्व ग्राम)	70.00लाख	4500	4200	4950	16500	22950	19950	12000	7000		
	वाड नं0 1 दलित सैनी बस्ती											
	वाड नं0 2 सूत फैक्ट्री कालोनी											
	वाड नं0 3 अंसारियान											
	वाड नं0 4 चौधरी कुम्हार बस्ती											
	वाड नं0 5 मंगल बाजार											
	वाड नं0 6 अंसारियान दक्षिणी											
	वाड नं0 7 चौहानान											

✓

अपने विचारों को व्यक्त करें
राज्य निर्माण

निवस्थन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (अर्द्धनगरीय ग्राम)

8

(नगर पालिका परिषद जसपुर एवं नगर पंचायत महुआडाबरा/हरिपुरा की सीमा के 2 किमी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम)

प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्लों का नाम				सामान्य दर									
प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	वार्ड / मोहल्लों के नाम		कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक			
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक		वाणिज्यिक दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (जिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	
1 क	काशीपुर-जसपुर-अफजलगढ़ मार्ग (कुण्डा से बहेड़ी तक अर्थात् जसपुर की अन्तिम सीमा तक)		44.00 लाख	4000	3800	4400	16000	19400	18800	12000	7000		
1 ख	काशीपुर-जसपुर-अफजलगढ़ मार्ग (कुण्डा से बहेड़ी तक अर्थात् जसपुर की अन्तिम सीमा तक)												
	बहादुरपुर		40 लाख	3500	3300	3850	15500	18850	18250	12000	7000		
1 क	जसपुर भूतपुरी मार्ग (तीरगढ़ी जसपुर पट्टी मंशा से नादेही तक एवं नादेही से पूरनपुर-धर्मपुर लिंक मार्ग (नादेही से धर्मपुर)		38 लाख	3400	3200	3740	15400	18740	18140	12000	7000		

Handwritten signature and date 21/11/20

82

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (अर्द्धनगरीय ग्राम)

9

(नगर पालिका परिषद जसपुर एवं नगर पंचायत महुआडाबरा/हरिपुरा की सीमा के 2 किमी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम)

प्रमुख मार्गों / वाडों / मोहल्लों का नाम				सामान्य दर									
प्रमुख मार्गों / मोहल्लों की श्रेणी	वार्ड / मोहल्लों के नाम		कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुसजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पलैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)			गैर वाणिज्यिक		
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक		अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिनडर मोर)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14		
जसपुर से वाकुरझारा मार्ग (खेड़ा लक्ष्मीपुर से तालबपुर तक)													
1 क	खेड़ा लक्ष्मीपुर		38 लाख	3500	3300	3850	15500	18850	18250	12000	7000		
जसपुर पतरामपुर मार्ग (कल्याणपुर से पतरामपुर तक)													
1 क	जमनीवाला		36 लाख	3300	3100	3630	15300	18630	18030	12000	7000		
जसपुर से भगवतपुर-अमानगढ़ मार्ग (मण्डुआखेड़ा से हजीरो तक)													
1 क	मण्डुआखेड़ा		35 लाख	3200	3000	3520	15200	18520	17920	12000	7000		

4

20/11/18

उधम सिंह नगर

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (अर्द्धनगरीय ग्राम)

10

(नगर पालिका परिषद जसपुर एवं नगर पंचायत महुआडाबर/हरिपुरा की सीमा के 2 किमी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम

प्रमुख मार्गों / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्गों / वाडों / मोहल्लों का नाम	वाडें / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर									
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय यूनिट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किसिया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक			
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दर	व्यवसायिक		व्यवसायिक दर	अन्य वाणिज्यप्रतिष्ठ सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिनडर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14		
जसपुर से भगवन्तपुर-अमानाक मार्ग (मण्डुआखेडा से हजीरो तक)													
भगवन्तपुर जसपुर													
			35 लाख	3200	3000	3520	15200	18520	17920	12000	7000		
	निवारमुण्डी		35 लाख	3200	3000	3520	15200	18520	17920	12000	7000		
	मेघावाला		35 लाख	3200	3000	3520	15200	18520	17920	12000	7000		

4

उप निबन्धनकारी (उप निबन्धन सिद्ध नगर)

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (अर्द्धनगरीय ग्राम)

11

(नगर पालिका परिषद जसपुर एवं नगर पंचायत महुआडाबरा/हरिपुरा की सीमा के 2 किमी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम)

प्रमुख मार्ग / वाहों / मोहल्लों का नाम		कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर										
वाहों / मोहल्लों के नाम	प्रमुख मार्ग / वाहों / मोहल्लों की श्रेणी		भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक				
			0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक		वाणिज्यिक	अन्य	प्रथम श्रेणी (लिन्डर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14		
जसपुर शरीकनगर मार्ग (जसपुर पट्टी मंशा से मुरलीवाला तक)													
क(1)	कासमपुर		35 लाख	3500	3200	3850	15500	18850	18250	12000	7000		
	मुरलीवाला		35 लाख	3500	3200	3850	15500	18850	18250	12000	7000		
	देवीपुरा		35 लाख	3500	3200	3850	15500	18850	18250	12000	7000		

56

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (अर्द्धनगरीय ग्राम)

12

(नगर पालिका परिषद जसपुर एवं नगर पंचायत बहुआबाद/हरिपुरा की सीमा के 2 किमी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम)

प्रमुख भागाँ / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख भागाँ / वाडों / मोहल्लों का नाम			सामान्य दर									
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक			
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक	व्यवसायिक		व्यवसायिक सुपर एरिया दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिन्डर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14		
जसपुर सन्ध्यासियावाला-ठाकुरद्वारा मार्ग (नारायणपुर से सन्ध्यासियावाला तक)													
1	सूरजपुर		30 लाख	2500	2300	2750	14500	17750	17150	12000	7000		
क													
1	अहमदनगर		37 लाख	3500	3200	3850	15500	18850	18250	12000	7000		
क													
ख	कलियावाला		37 लाख	3500	3200	3850	15500	18850	18250	12000	7000		
ग	गढ़ी हुसैन		37 लाख	3500	3200	3850	15500	18850	18250	12000	7000		

उधम सिंह नगर

निवस्थन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)

13

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / बाड़ों / मोहल्लों का नाम	सामान्य दर	भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परियोजना प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किसाया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)	गैर वाणिज्यिक	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	क 1	क 2	क 3	क 4	क 5	क 6	क 7	क 8	क 10	क 12	क 13	क 14
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	क 1	क 2	क 3	क 4	क 5	क 6	क 7	क 8
क 1	कुण्डा		44 लाख	4000	3500	4400	16000	18200	17600	12000	7000								
2	दादूवाला		44 लाख	4000	3500	4400	16000	18200	17600	12000	7000								
3	भवानीपुर		39 लाख	2500	2200	2750	14500	16550	15950	12000	7000								
ख 4	लालपुर		40 लाख	3400	3200	3740	15400	17540	16940	12000	7000								
5	बक्सौरा		40 लाख	3400	3200	3740	15400	17540	16940	12000	7000								

काशीपुर-जसपुर-अफजलगढ़ मार्ग (कुण्डा से बहेड़ी तक अर्थात् जसपुर की अन्तिम सीमा तक)

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)

14

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वाह / मोहल्लों का नाम	वाह / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर									
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (क्रियाया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक			
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक	व्यवसायिक		अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिट्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)			
											अकृषि	अकृषि	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14		
काशीपुर-जसपुर-अफजलनगर मार्ग (कुण्डा से बहेड़ी तक अर्थात् जसपुर की अन्तिम सीमा तक)													
6	जगतपुर पट्टी		40 लाख	3400	3200	3740	15400	17540	16940	12000	7000		
7	गूलसौजी		40 लाख	3400	3200	3740	15400	17540	16940	12000	7000		
8	धर्मपुर		35 लाख	2500	2200	2750	14500	16550	15950	12000	7000		
9	बहेड़ी		35 लाख	3200	3000	3520	15200	17320	16720	12000	7000		
ग 10	टीला		32 लाख	2800	2500	3080	14800	16880	16280	12000	7000		

4

अध्यक्ष निबन्धनकारी (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)
सहस्र निबन्धनकारी

84

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)

15

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वाहों / मोहल्लों का नाम	वाहों / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक	
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 सी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक	व्यवसायिक सुपर एरिया दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14
काशीपुर-जसपुर-अफजलगढ़ मार्ग (कुण्डा से बहेड़ी तक अर्थात् जसपुर की अन्तिम सीमा तक)											
11	विक्रमपुर		38 लाख	3200	3100	3520	15200	17320	16720	12000	7000
12	किशनपुर		38 लाख	3200	3100	3520	15200	17320	16720	12000	7000
13	उमरपुर मानक		32 लाख	2400	2100	2640	14400	16440	15840	12000	7000
जसपुर भूतपुरी मार्ग (तीरगढ़ी जसपुर पट्टी मंशा से नादेही तक) एवं नादेही से पूरनपुर-धर्मपुर लिंक मार्ग (नादेही से धर्मपुर तक)											
1	नादेही		37 लाख	3400	3200	3740	15400	17540	16940	12000	7000
2	पूरनपुर		37 लाख	3400	3200	3740	15400	17540	16940	12000	7000

4

24/11/18
उप निरीक्षक
जसपुर

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)

16

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वाडों / मोहल्लों का नाम	वाडों / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर									
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक			
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक		वाणिज्यिक	अन्य	प्रथम श्रेणी (विन्डर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14		

जसपुर से ठाकुरद्वारा मार्ग (खेडा लक्ष्मीपुर से तालबपुर तक)											
1	रहमापुर	36 लाख	3500	3200	3850	15500	17650	17050	12000	7000	
2	तालबपुर	36 लाख	3500	3200	3850	15500	17650	17050	12000	7000	
जसपुर-पतरामपुर मार्ग (कल्याणपुर से पतरामपुर तक)											
3	कल्याणपुर	36 लाख	3300	3100	3630	15300	17430	16830	12000	7000	
4	बकियोवाला	30 लाख	2400	2200	2640	14400	16440	15840	12000	7000	

4

उधम सिंह नगर

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)

17

प्रमुख मार्ग / बाड़ी / मोहल्लों का नाम		सामान्य दर											
प्रमुख मार्ग / बाड़ी / मोहल्लों की श्रेणी	वार्ड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परलैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)			गैर वाणिज्यिक			
			0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक		व्यवसायिक दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिट्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जसपुर-पलसामपुर मार्ग (कल्याणपुर से पलसामपुर तक)													
5	आमका		30 लाख	2400	2200	2640	14400	16440	15850	12000	7000		
6	मलपुरी		30 लाख	2400	2200	2640	14400	16440	15850	12000	7000		
7	पलसामपुर		32 लाख	2800	2600	3080	14800	16888	16288	12000	7000		
जसपुर-अमानगढ़ मार्ग (मन्डुवाखेड़ा से हजीरो / खालीपार तक)													
1	समनगर जसपुर		30 लाख	2500	2200	2750	14500	16550	15950	12000	7000		
2	मनोरथपुर द्वितीय		30 लाख	2500	2200	2750	14500	16550	15950	12000	7000		

अध्यक्ष निबन्धनकारी (वि.र.)
उधम सिंह नगर

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)

18

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / चार्ज / मोहल्लों के नाम		कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर				बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक	
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)		व्यवसायिक	व्यवसायिक		व्यवसायिक	अन्य वाणिज्यिक	प्रथम श्रेणी (लिनर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर							
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	
जसपुर-अमानगढ़ मार्ग (मन्हुवाखेड़ा से हजीरो तक)												
3	खालीपार		30 लाख	2500	2200	2750	14500	16550	15950	12000	7000	
4	हजीरो		30 लाख	2500	2200	2750	14500	16550	15950	12000	7000	
कुण्डा-हरियावाला मार्ग (लालपुर से हरियावाला, शाहनंज तक)												
1	बाबरखेड़ा		33 लाख	2500	2300	2750	14500	16550	15950	12000	7000	
2	हरियावाला		35 लाख	3100	3000	3410	15100	17210	16610	12000	7000	
3	शाहनंज		35 लाख	3100	3000	3410	15100	17210	16610	12000	7000	

अरुण सिन्हा
उप निरीक्षक
जसपुर जिला नगर

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)

19

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वाडों / मोहल्लों का नाम	वाडों / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर				बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किसी प्रति वर्गमीटर निम्न क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक	
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)	0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक		व्यवसायिक सुपर एरिया दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिट्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
जसपुर-सन्धासियोवाला-ठाकुरदारा मार्ग (नाथयणपुर से सन्धासियोवाला तक)												
2	सन्धासियोवाला		35 लाख	3200	3000	3520	15200	17320	16720	12000	7000	
कुण्डा से गढ़ीनेगी किलावली मार्ग (कुण्डा चौराहा से गढ़ीनेगी होते हुये किलावली तक)												
क 1	गिरधामुशी		30 लाख	2400	2200	2640	14400	16440	15840	12000	7000	
2	भरतपुर		35 लाख	3200	3100	3520	15200	17320	16720	12000	7000	
3	करनपुर		35 लाख	3200	3100	3520	15200	17320	16720	12000	7000	
4	गढ़ीनेगी		35 लाख	3200	3100	3520	15200	17320	16720	12000	7000	

4

उधम सिंह नगर

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)

20

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वाहों / मोहल्लों का नाम	वाहों / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर									
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक			
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक	व्यवसायिक		व्यवसायिक दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोरा)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोरा)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14		
कुण्डा से गढ़ीनेगी किलावली मार्ग (कुण्डा चौराहा से गढ़ीनेगी होते हुये किलावली तक)													
5	दुर्गापुर		35 लाख	3100	3000	3410	15100	17210	16610	12000	7000		
6	नवलपुर		30 लाख	2500	2300	2750	14500	16550	15950	12000	7000		
7	किलावली		30 लाख	2500	2300	2750	14500	16550	15950	12000	7000		

उप निदेशिका (वि. सं. 11/18)

उप निदेशिका (वि. सं. 11/18)

उप निदेशिका (वि. सं. 11/18)

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (विशिष्ट ग्राम क्षेत्र)

21

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वाहों / मोहल्लों का नाम	वाहों / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर									
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)				गैर वाणिज्यिक	
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक		वाणिज्यिक दर	अन्य वाणिज्यिक दर	प्रथम श्रेणी (लिन्डर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)		
												अकृषि	अकृषि
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14		
1	हलदुआ शाहू		37 लाख	3300	3100	3630	15300	17430	16830	12000	7000		
ख 2	अभियावाला		37 लाख	3300	3100	3630	15300	17430	16830	12000	7000		
3	बैतवाला		37 लाख	3300	3100	3630	15300	17430	16830	12000	7000		
7	नगरिया खुल्लान		37 लाख	3300	3100	3630	15300	17430	16830	12000	7000		
8	वीरपुरी		37 लाख	3300	3100	3630	15300	17430	16830	12000	7000		
9	हमीरावाला		37 लाख	3300	3100	3630	15300	17430	16830	12000	7000		

4

उप निबन्धनकारी (ले 2020) लक्ष्मण सिंह ग.

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (ग्रामीण क्षेत्र)

22

प्रमुख मार्गों / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्गों / वार्डों / मोहल्लों का नाम	3	4	सामान्य दर									
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किसाया प्रति वर्गमीटर सिविल सेवा मूल्य)		गैर वाणिज्यिक			
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक	व्यवसायिक		सुपर एरिया दर	अन्य वाणिज्यप्रति सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)		
												अकृषि	अकृषि
1	2	5	6	7	8	10	12	13	14				
क 1	अनादपुर	28 लाख	2200	2100	2420	14200	15920	15020	12000	7000			
2	गौरा	28 लाख	2200	2100	2420	14200	15920	15020	12000	7000			
3	भूडा	28 लाख	2200	2100	2420	14200	15920	15020	12000	7000			
ख 4	मोगपुर जसपुर	25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000			
5	जगदीशावाला	25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000			
7	कसरीपुर	25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000			

4

उधम सिंह नगर

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (ग्रामीण क्षेत्र)

23

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्गों / वार्डों / मोहल्लों के नाम	3	4	सामान्य दर									
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक			
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक		व्यवसायिक सुपर एरिया दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिन्डर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)		
												कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	अकृषि
1	2			5	6	7	8	10	12	13	14		
8	गणेशपुर		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
9	जगतपुर जसपुर		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
10	शिवराजपुर		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
11	टांजा प्रभापुर		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
ग 12	मकोनिया		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
13	चक्र राय जवाहर सिंह		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		

अध्यापक (वि. वि. वि.)
उधम सिंह नगर

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (ग्रामीण क्षेत्र)

24

प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वाडों / मोहल्लों का नाम	वाड / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर									
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		शैर वाणिज्यिक			
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक		व्यवसायिक दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिन्टन पोथ)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोथ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14		
14	रायपुर पट्टी दिवला		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
15	रायपुर पट्टी हरजी		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
16	रायपुरपट्टी लेखराज		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
17	रायपुर पट्टी लोकभन		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		

4

उधम सिंह नगर (वि./रा.)

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (ग्रामीण क्षेत्र)

25

प्रमुख मार्ग / वाडों / मोहल्लों का नाम	प्रमुख मार्ग / वाडों / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर										
			भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)				बहुमंजिलीय आवासीय भवन से स्थित आवासीय पलैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक			
			0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक	अवशिष्ट	अवशिष्ट		व्यवसायिक दर	अन्य वाणिज्यिक दर	प्रथम श्रेणी (लिन्डर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	आसपुर		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
19	चक आसपुर		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
20	चक जगतपुर		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
21	चतरपुर बगीची		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
22	कृपाबाधपुर		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
23	मलपुरा		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
24	सीपका		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		

अपर निबन्धनकारी (वि. / रा.)
उधम सिंह नगर

100

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (ग्रामीण क्षेत्र)

26

प्रमुख मार्ग / मोहल्ला की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वार्ड / मोहल्ला का नाम	वार्ड / मोहल्ला के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	सामान्य दर									
				भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परलैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक			
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक	व्यवसायिक		वाणिज्यिक दर	अन्य वाणिज्यिक दर	प्रथम श्रेणी (लिनियर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14		
25	मिलक सीपका		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
26	मनोरथपुर प्रथम		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
27	मनोरथपुर तृतीय		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
28	फजलपुर		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
29	पट्टी वाले		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		
30	बगवाड़ा		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000		

उधम सिंह नगर

निबन्धन उप जिला जसपुर जनपद उधमसिंहनगर (ग्रामीण क्षेत्र)

27

सामान्य दर												
प्रमुख मार्ग / मोहल्लों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / वाडों / मोहल्लों का नाम	वाडों / मोहल्लों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लाख में)	भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किराया प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक		
				0-100 मी. तक	100 मीटर से अधिक दूर	व्यवसायिक		व्यवसायिक सुपर एरिया दर	अन्य वाणिज्यिक सुपर एरिया दर	प्रथम श्रेणी (लिनन्टर मोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनमोश)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	
31	परसौरा		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000	
32	ढाढीपुरा		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000	
33	ढाढीपुरा हरचन्द		25 लाख	2000	1900	2200	14000	15700	14800	12000	7000	

अध्यापक (वि. / ए.)
सत्यम सिंह नगर

जनपद-उधमसिंहनगर में औद्योगिक भूमि की दरें--

नगरीय क्षेत्र	3500 रु० प्रति वर्गमीटर
अर्द्धनगरीय क्षेत्र	2500 रु० प्रति वर्गमीटर
ग्रामीण क्षेत्र	1500 रु० प्रति वर्गमीटर
निर्माण की दरें	7000 रु० प्रति वर्गमीटर

नोट-1. औद्योगिक दरों में मार्गीय वृद्धि देय नहीं होगी।

2. उप निबन्धक काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत महुआखेड़ागंज नगरपालिका की औद्योगिक दरें 2500 रु० प्रति वर्गमीटर प्रभावी होंगी।

★


 जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर
 जिला मुख्यालय, उधम सिंह नगर

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका कार्गुला निम्नलिखित है :-

नोट:- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानिता आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में ह्रास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :- $D = P(1 - RD/100)^N$

$RD =$ भवन की औसत आयु

100

$D =$ ह्रास मूल्य (Depreciated Value) $P =$ वर्तमान मूल्य $N =$ कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)

1 वर्ष	0.990	26 वर्ष	0.770	51 वर्ष	0.598	76 वर्ष	0.465
2	0.980	27	0.762	52	0.592	77	0.461
3	0.970	28	0.754	53	0.587	78	0.456
4	0.960	29	0.747	54	0.581	79	0.452
5	0.950	30	0.739	55	0.575	80	0.447
6	0.941	31	0.731	56	0.569	81	0.443
7	0.932	32	0.724	57	0.563	82	0.438
8	0.927	33	0.717	58	0.558	83	0.434
9	0.913	34	0.710	59	0.552	84	0.429
10	0.904	35	0.703	60	0.547	85	0.425
11	0.890	36	0.696	61	0.541	86	0.421
12	0.880	37	0.689	62	0.536	87	0.417
13	0.870	38	0.682	63	0.530	88	0.412
14	0.868	39	0.675	64	0.525	89	0.408
15	0.860	40	0.668	65	0.518	90	0.404
16	0.851	41	0.662	66	0.515	91	0.400
17	0.842	42	0.655	67	0.509	92	0.396
18	0.834	43	0.649	68	0.504	93	0.392
19	0.826	44	0.642	69	0.499	94	0.388
20	0.817	45	0.636	70	0.494	95	0.384
21	0.809	46	0.629	71	0.489	96	0.381
22	0.801	47	0.623	72	0.484	97	0.377
23	0.793	48	0.617	73	0.480	98	0.373
24	0.785	49	0.611	74	0.475	99	0.369
25	0.777	50	0.605	75	0.470	100	0.366

✓

उद्यम सिंह नगर

सामान्य निर्देशिका:-

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड के दिनांक-12 जनवरी 2018 पत्रांक संख्या-27 (1)/2018/XXVII(9)/रटाम्प-80/2009 के निर्देश के क्रम में सामान्य निर्देशिका:-

1. याचि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-

- (क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 5 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (ख) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (ग) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (घ) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,

2. वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।

3. शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिसमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियाँ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्गत सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, भेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरे प्रभावी होगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथम तल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत की छूट देय होगी। तथा तृतीय तल एवं ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

4. ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरे सम्मिलित है, के अनुसार एवं संलग्न खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।

5. एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तर्गत विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं भेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरे प्रभावी होगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

6. 1000 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरे लागू की जायेगी। परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरे लागू की जायेगी।

7. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आवागिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियाँ हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप

1

सचिव, सिडकुल नगर

में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।

8. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के खसरा नम्बरान की सूची जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित दूरी के मानक के अनुसार सर्किल दर सूची में संलग्न की जायेगी तथा उक्त में अंकित खसरा नम्बरान की दूरी के आधार पर लेखपत्रों के द्वारा अन्तर्गत भूमि/सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त से अन्यथा दूरी प्रदर्शित कर मूल्यांकन किये जाने की स्थिति में लेखपत्र की प्रति स्वाम्य एवट के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत परीक्षण की कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी।

9. कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आकलित दर से होगा।

10. किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

11. बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित फ्लैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

12. विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में स्वीकृत प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो, उसका विलेख में उल्लेख में किया जाना अनिवार्य होगा, एवं ऐसे स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लाईसेन्स प्राप्त इम्पटमेंट द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अधिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। एवं जिस भवन का निर्माण बहुत पुराना हो तथा उसकी स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न हो, उस दशा में लाईसेन्स इम्पटमेंट द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में लिन्टर पोश, टीनपोश अथवा फ्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

13. फ्लैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप ऑफ फ्लैट एक्ट-1975 (तथा संशोधित तथा उल्लेखपत्र में लागू के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।

14. भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तर्गत भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि अन्तर्गत भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां/मौहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।

15. वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।

16. भवनों की आयु निर्धारित के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य ह्रास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। फ्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।

17. भूमि/सम्पत्ति बाड़पट्टी वॉल के स्थित होने पर रूपया 1000/- (निंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

18. भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन रूपये-25000.00 प्रति बोरिंग की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

19. टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।

20. किसी भी औद्योगिक इकाई में में निहित निर्माण का मूल्यांकन, निर्माण की प्रकृति तथा लिन्टर पोश, टीनपोश निर्माण हेतु मूल्यांकन सूची में अंकित दर के अनुसार किया जायेगा।

21. किसी भी औद्योगिक इकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेंट एप्लूड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।

4

सदर
सहस्र निदेश नं. 11/11/10

सहस्र निदेश नं. 11/11/10

22. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम दर प्रभावी होगी।
23. मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
24. मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहाँ से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
25. किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभावता या उस पर प्रभाव शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
26. मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।
 - (i) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र, 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (ii) विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (iii) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1. दुकान, 2. रेस्टोरेन्ट, 3. कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (iv) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की द्विहोकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तर्गत कृषि/अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (v) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित संड़क-सड़कों/मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (vi) पक्षकारों द्वारा अंतरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्टाम्प एकट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। जो विलेख का भाग माना जायेगा।


 (जगदीश चन्द काष्ठपाल)
 अपर जिजाधिकारी,
 जिलाधिकारी (वि. / पा.)
 उधम सिंह नगर।

आदेश

सधिव विल्ल उत्तराखण्ड शासन देहरादून विल्ल अनुभाग-9 के पत्र संख्या 27/2018/27(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी निदेश तथा महाविशेषक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1020/मोनिटिंग/2017-18 दिनांक 12.01.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 2015 के अनुसार कार्यालय के पत्र संख्या 626/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2016-17 दिनांक 19.08.2016 द्वारा पुनःशिक्षित मूल्यांकन सूची जो दिनांक 19.08.2016 से प्रभावी है, को संशोधित करते हुए जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित तहसीलवार भूमि एवं भवनों (सम्पत्ति) की वरी का स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क भुगतान के प्रयोजन हेतु संशोधित मूल्यांकन सूची शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में संशोधित की जाती है, जो आज दिनांक 14.01.2018 से प्रभावी होगी।

(हो नौरज खैरवाल)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
ऊधमसिंहनगर

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर, ऊधमसिंह नगर।

पत्र संख्या-529/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2017-18 दिनांक - 14 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि-निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सधिव, राजस्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सधिव, विल्ल (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सधिव, विल्ल (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महाविशेषक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलवार/उपनिबन्धक, ऊधमसिंहनगर।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी/नगर निगम/नगर पालिका परिषद/छावनी क्षेत्र/नगर पंचायत, ऊधमसिंहनगर।
9. जिला निबन्धक/सहायक आयुक्त स्टाम्प, ऊधमसिंहनगर।
10. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
11. कार्यालय प्रति।

(जगदीश शर्मा काण्डपाल)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
ऊधमसिंहनगर।

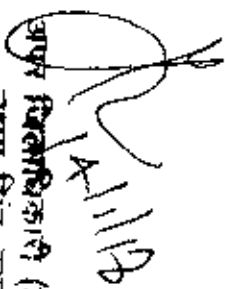
$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i\omega x}}{\omega} d\omega = 0$$

अन्य मोहल्ले										
11	क	सिखान मोहल्ला- सिखान काजीबाग- मोहल्ला- काजीबाग	378.00	11000	7700	24200	50600	49500	12000	7000
	ख	खजियान मो० खजियान, किला, बरकोइन, औआन	289.00	9400	5800	22000	48400	44000	12000	7000
वहसील काशीपुर के वह क्षेत्र जो पूर्व में अर्द्धनगरीय क्षेत्र थे अब नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित है										
क्रम सं०	प्रमुख मोहल्ले की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्ले का नाम	भूमि सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमलजिय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन		गैर वाणिज्यिक	
		मोहल्ले के नाम	कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर लाख में)	100 मी० तक	100 मी० से अधिक		दुकान/रेस् टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनट्रपोस)	द्वितीय श्रेणी (ट्रीनपोस)
	क	कचनोलागजी, खडकपुर देवीपुरा, जसपुरखुर्द, जलौन, नीझडा, पशियापुरा	115.00	5500	5300	18300	55000	49500	12000	7000
	ख	रसपुरा, डाकिया गुलाबो, सरवरखेडा, बैलजुडी	101.00	4700	4400	17500	42900	31900	12000	7000
	ग	कुआंखेडा	92.00	3900	3600	16800	27500	26400	12000	7000
	घ	कचनोलागसाई, हेमपुर ईसाइल, कुण्डेशवा, साङखेडा	89.00	3100	2500	16200	27500	26400	12000	7000
	ङ	दोहरी परसा	47.00	2500	2200	15200	24200	23100	12000	7000

तहसील काशीपुर की अर्द्धनगरीय एवं विशिष्ट ग्रामों/मुख्य मार्ग/ग्राम की दरें

क्रम सं०	प्रमुख क्षेत्रों की श्रेणी	प्रमुख मार्गों/वाडों/मौहल्लों का नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर लागत में)	भूमि/सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (गुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (गुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक		
				100 मीटर तक	अधिक		हुकान/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	निर्माण की दर प्रति वर्गमीटर	प्रथम श्रेणी (लिन्टरगेश)	द्वितीय श्रेणी (टीनगेश)
1		रामनगर रोड, रेलवे फाटक से भगापुर तक									
		1. कचनगलाजी	105.00	5300	5000	18400	52800	44000	12000	7000	
		2. नीझाडा	105.00	5300	5000	18700	47300	42900	12000	7000	
	ग	3. रम्पुरा	92.00	4500	4200	17500	42900	31900	12000	7000	
		4. मानपुर									
	घ	5. खरमासी									
		6. लक्ष्मीपुर लक्ष्मी	83.00	2600	2400	15800	26400	22000	12000	7000	
		7. भगवन्तपुर काशीपुर									
		8. धनौरी पट्टी									
2		केलाखेड़ा से कुन्हेरवरी जैतपुर									
	क	1. प्रतापपुर	82.00	2600	2400	15800	26400	22000	12000	7000	
		2. खरमासा									
	ख	3. दोहरी बकील									
		4. पट्टी भज्जर	42.00	2400	2200	15800	25300	22000	12000	7000	
		5. शिवलालपुर डल्लू									
		6. नन्दसामपुर									
		7. रामनगर काशीपुर									
3		काशीपुर कुन्हेरवरी रोड									
	क	1. जसपुरखुर्द	105.00	5300	5000	18900	58300	49500	12000	7000	
		2. उज्जैन									
	ख	3. कुर्छाखेड़ा									
		4. गंगापुर गुसाई	84.00	3700	3400	16800	27500	26400	12000	7000	
		5. कुन्हेरवरी									

8	मुसादाबाद असेमिगंज रोड-										
	1. पशियापुरा	99.00	5300	4600	17900	41800	38500	12000	7000		
ख	2. गिन्नीखेडा	80.00	2600	2500	16300	25300	23100	12000	7000		
ग	3. बांसखेडा कला 4. बांसखेडाखुर्द 5. गिरध्याई 6. बघेलेवाला 7. पैगा	49.00	2400	2300	15400	19800	18700	12000	7000		
9	ककिया गुलाबी महुआखेडागंज मार्ग-										
क	8. ककिया गुलाबी	92.00	4500	4400	17900	33000	30800	12000	7000		
ख	9. रायपुरखुर्द 10. शिवलालपुर अमरझाडा 11. गुलडिया	38.00	2600	2300	15200	22000	19800	12000	7000		


 गुण विकसिकारी (वि.सं.)
 उद्यम सिंह नगर

तहसील काशीपुर की ग्रामीण क्षेत्र की दरें

सामान्य दर

क्र.श्रेणी	ग्राम का नाम	कृषि भूमि हैक्टयर (प्रति लाख में)	भूमि/सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)		बहुभुजतीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परसैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रति वर्गमीटर		
			100 मीटर तक	100 मीटर से अधिक		डुकान/रेस्टोरेंट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)	
1	1. भोगपुर काशीपुर— 2. चाँदपुर 3. गढ़ीगाँव 4. गढ़ीइन्द्रजीत 5. फिरोजपुर	77.00	2600	2200	15200	26400	24200	12000	7000	
क	3. गढ़ीगाँव 4. गढ़ीइन्द्रजीत 5. फिरोजपुर	55.00	2300	2100	15200	26400	24200	12000	7000	
ख	6. पञ्चवाला 7. ठकिया कला 8. सीतारामपुर 9. जुड़का 10. गोपीपुत्र	38.00	2200	2000	15000	24200	22000	12000	7000	
ग	11. कुदईयावाला 12. कटैया 13. दभौरा एहतमाली 14. पट्टी हक 15. बरखेड़ा पाण्डे 16. जगन्नाथपुर 17. गौधीनगर	45.00	2200	2000	15000	22000	19800	12000	7000	
घ	18. झगरपुर 19. हेमपुर दया 20. दिसोदियावाला 21. झंझोड़ी 22. रामजीवनपुर	23.00	1600	1500	12100	15300	12500	10000	5000	
नगरपालिका नहुआखेड़ागाँव										
2	क	94.00	3200	3000	15500	28000	22000	12000	7000	

नगरपालिका महुआखेड़ागाँव

जनपद—उधमसिंहनगर में औद्योगिक भूमि की दरें—

नगरीय क्षेत्र	3500 रु० प्रति वर्गमीटर
अर्द्धनगरीय क्षेत्र	2500 रु० प्रति वर्गमीटर
ग्रामीण क्षेत्र	1500 रु० प्रति वर्गमीटर
निर्माण की दरें	7000 रु० प्रति वर्गमीटर

नोट—1. औद्योगिक दरें में मार्गीय वृद्धि देय नहीं होगी।

2. उप निबन्धक काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत महुआखेड़ागंज नगरपालिका की औद्योगिक दरें 2500 रु० प्रति वर्गमीटर प्रभावी होंगी।

★


 जिलाधिकारी
 उधम सिंह नगर

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका फार्मूला निम्नलिखित है :-

नोट:- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानिता आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में ड्रास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित सूत्र :- $D = P(1 - RD/100)^N$

$RD = \frac{\text{भवन की औसत आयु}}{100}$

100

D = ड्रास मूल्य (Depreciated Value) P = वर्तमान मूल्य N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)									
1 वर्ष	0.990	26 वर्ष	0.770	51 वर्ष	0.598	76 वर्ष	0.465		
2	0.980	27	0.762	52	0.592	77	0.461		
3	0.970	28	0.754	53	0.587	78	0.456		
4	0.960	29	0.747	54	0.581	79	0.452		
5	0.950	30	0.739	55	0.575	80	0.447		
6	0.941	31	0.731	56	0.569	81	0.443		
7	0.932	32	0.724	57	0.563	82	0.438		
8	0.927	33	0.717	58	0.558	83	0.434		
9	0.913	34	0.710	59	0.552	84	0.429		
10	0.904	35	0.703	60	0.547	85	0.425		
11	0.890	36	0.696	61	0.541	86	0.421		
12	0.880	37	0.689	62	0.536	87	0.417		
13	0.870	38	0.682	63	0.530	88	0.412		
14	0.868	39	0.675	64	0.525	89	0.408		
15	0.860	40	0.668	65	0.518	90	0.404		
16	0.851	41	0.662	66	0.515	91	0.400		
17	0.842	42	0.655	67	0.509	92	0.396		
18	0.834	43	0.649	68	0.504	93	0.392		
19	0.826	44	0.642	69	0.499	94	0.388		
20	0.817	45	0.636	70	0.494	95	0.384		
21	0.809	46	0.629	71	0.489	96	0.381		
22	0.801	47	0.623	72	0.484	97	0.377		
23	0.793	48	0.617	73	0.480	98	0.373		
24	0.785	49	0.611	74	0.475	99	0.369		
25	0.777	50	0.605	75	0.470	100	0.366		


 सहायक निरीक्षक (वि. / ए.)
 सयम सिंह नगर

सामान्य निर्देशिका:-

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड के दिनांक-12 जनवरी 2018 पत्रांक संख्या-27 (1)/2018/XXVII(9)/रटाम्प-80/2009 के निर्देश के क्रम में सामान्य निर्देशिका:-

1. यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित पूछण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-

- (क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 5 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (ख) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (ग) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (घ) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा से श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
2. वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।
3. शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिसमें स्विचलित यांत्रिक सीढ़ियाँ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्गत सम्मिलित में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथम तल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत की छूट देय होगी। तथा तृतीय तल एवं ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
4. ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्न खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।
5. एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तर्गत विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।
6. 1000 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी। परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।
7. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियाँ हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप

1

उपसचिव (वि. व. व.)

में अनुमत्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निष्पादित दसों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।

मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के खसरा नम्बरान की सूची जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित दूरी के मानक के अनुसार सर्किल दर सूची में संलग्न की जायेगी तथा उक्त में अंकित खसरा नम्बरान की दूरी के आधार पर लेखपत्रों के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त से अन्वया दूरी प्रदर्शित कर मूल्यांकन किये जाने की स्थिति में लेखपत्र की प्रति स्वाम्य एकट के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत परीक्षण की कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी।

कृषि या अगुषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सानान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा। किसी भी एकल ज़रिफ़ी (अचामीन) में किसी भी ज़रिफ़ी के लिए

किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित परलैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक दौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में स्वीकृत प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो, उसका विलेख में उल्लेख में किया जाना अनिवार्य होगा, एवं ऐसे स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लाईसेंस प्राप्त झपटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। एवं जिस भवन का निर्माण बहुत पुराना हो तथा उसकी स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न हो, उस दशा में लाईसेंस झपटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में लिन्टर पोश, टीनपोश अथवा फ्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

फ्लैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश और फ्लैट एक्ट-1975 (यथा संशोधित यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।

भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दूर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालौनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि अन्तरित भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनिपां/मौहल्ल्यां/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।
वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।

वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में कोई हास मूल्य देय नहीं होगा।

भवन का आधुनिकीकरण के निमाण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य हास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। प्लैटों के मूल्यकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।

भूमि/सम्पत्ति बाइण्ड्री वॉल के स्थित होने पर रूपया 1000/- रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जाएगा।

मूल्य/समय बाल के स्थित होने पर रूपया 1000/- रनिंग मीटर की दर से मूल्यंकन किया जायेगा।

टीनोपेश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।

केन्द्रीय औद्योगिक इकाई में निहित निर्माण का मूल्यांकन, निर्माण की प्रकृति यथा लिन्टर पोश, टीनपोश निर्माण हेतु मूल्यांकन सूची में अंकित दर के अनुसार किया जायेगा।

केसी भी औद्योगिक इकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एग्ल्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।

4

2

22. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम दर प्रभावी होगी।
23. मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
24. मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से हैं, जहाँ से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्ताम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्ताम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
25. किसी विलेख पर स्ताम्प शुल्क की प्रभावता या उस पर प्रभाव शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
26. मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।
- (i) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र, 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (ii) विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (iii) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1. दुकान, 2. रेस्टोरेन्ट, 3. कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हों, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (iv) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की दिव्यीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तर्गत कृषि/अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (v) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित सड़क-सड़कों/मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (vi) पक्षकारों द्वारा अंतरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्ताम्प एक्ट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। जो विलेख का भग्न माना जायेगा।

(जगदीश चन्द्र कामडपाल)
अमर जिवाधिकारी,
उपमहानगरपालिका (वि. १७)
उपमहानगरपालिका (वि. १७)
उपमहानगरपालिका (वि. १७)

आदेश

सचिव विल्ल उत्तराखण्ड शासन देहरादून विल्ल अनुभाग-9 के पत्र संख्या 27/2018/27(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी निदेश तथा महानिसीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1020/म0नि0नि0/2017-18 दिनांक 12.01.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड सम्प्रति का मूल्यांकन नियमावली 2015 के अनुसार कार्यालय के पत्र संख्या 826/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2018-17 दिनांक 19.08.2018 द्वारा पुनःरीक्षित मूल्यांकन सूची जो दिनांक 19.08.2018 से प्रभावी है, को संशोधित करते हुए जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित तहसीलवार भूमि एवं भवनों (सम्प्रति) की दूरों का स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क भुगतान के प्रयोजन हेतु संशोधित मूल्यांकन सूची शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में संशोधित की जाती है, जो आज दिनांक 14.01.2018 से प्रभावी होगी।

(जो नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
ऊधमसिंहनगर

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर, ऊधमसिंह नगर।

पत्र संख्या-529/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2017-18 दिनांक - 14 जनवरी, 2018

प्रतिनिधि-निर्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विल्ल (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विल्ल (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिसीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. संगस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/उपनिबन्धक, ऊधमसिंहनगर।
8. सनस्त अधिशासी अधिकारी/नगर निगम/नगर पालिका परिषद/छावनी क्षेत्र/नगर पंचायत, ऊधमसिंहनगर।
9. जिला निबन्धक/सहायक आयुक्त स्टाम्प, ऊधमसिंहनगर।
10. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
11. कार्यालय प्रति।

(जगदीश धनंजय काण्डपाल)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
ऊधमसिंहनगर।

निबन्धन उप-जिला किच्छा, जनपद-उधमसिंहनगर।

५४

नगरीय क्षेत्र हेतु निर्धारित श्रेणीवार विभाजन

1-	नगरीय क्षेत्र-	श्रेणी- (क)-	महाराणा प्रताप चौक से आदित्य चौक तक किच्छा मुख्य मोटर मार्ग-	किच्छा वार्ड नं०-3,	किच्छा वार्ड नं०-5,
			आदित्य चौक से अम्बेडकर चौक तक पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग-	किच्छा वार्ड नं०-3,	किच्छा वार्ड नं०-4,
			आवास विकास-सन्त कृपाल द्वारा मार्ग-	किच्छा वार्ड नं०-4,	
			आवास विकास-गुरुनानक द्वार मार्ग-	किच्छा वार्ड नं०-4,	
			दीनदयाल चौक से अम्बेडकर चौक तक बरेली मार्ग-	किच्छा वार्ड नं०-4,	किच्छा वार्ड नं०-5,
1-	नगरीय क्षेत्र-	श्रेणी- (ख)-	महाराणा प्रताप चौक से आदित्य चौक तक किच्छा मुख्य मोटर मार्ग-	किच्छा वार्ड नं०-1,	किच्छा वार्ड नं०-2,
			दीनदयाल चौक से अम्बेडकर चौक तक बरेली मार्ग-	किच्छा वार्ड नं०-6,	किच्छा वार्ड नं०-7,
			महाराणा प्रताप चौक से पुरानी बरेली रोड की सीमा तक मार्ग-	किच्छा वार्ड नं०-10,	किच्छा वार्ड नं०-8,
			महाराणा प्रताप चौक से बहिडया चौराहा तक (किच्छा हल्द्वानी मार्ग)-	किच्छा वार्ड नं०-1	
			महाराणा प्रताप चौक से प्रारम्भ पुरानी गल्ला मण्डी रोड-	किच्छा वार्ड नं०-13	
1-	नगरीय क्षेत्र-	श्रेणी- (ग)-	महाराणा प्रताप चौक से पुरानी बरेली रोड की सीमा तक मार्ग-	किच्छा वार्ड नं०-12	
			रेलवे गोदाम रोड-	किच्छा वार्ड नं०-13	

4

अपर विकासिकारी (वि. / ११.११.११)
उधम सिंह नगर।

अर्द्धनगरीय क्षेत्र / विशिष्ट ग्राम हेतु निर्धारित श्रेणीवार विभाजन

2-	श्रेणी (क)-	ग्रामीण खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग	1-किशनपुर, 2-चुकटी, 3-देवरिया
अर्द्धनगरीय / विशिष्ट ग्राम-	श्रेणी (ख)-	ग्रामीण खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग-	
		(1)-आदित्य चौक से लालपुर मजार तक-	
		(2)-आदित्य चौक से अम्बेडकर चौराहा होते हुये पुलमट्टा चौराहे तक-	4-सिरौलीकला
		हल्द्वानी बरेली राजकीय राजमार्ग-	5-बोडिया 6-नगला, 7-जगतहरनगर
	श्रेणी (ग)-	(1)-बोडिया चौराहे से नगला चौराहा तक-	
		(2)-हल्द्वानी बाईपास चौराहे से आदित्य चौक तक।	
		किच्छा दरक मोटर मार्ग - (अम्बेडकर चौराहे से तहसील की सीमा तक)-	8-दरक
		ग्रामीण खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग-	9-सोनेया
	श्रेणी (घ)-	(1)-आदित्य चौक से लालपुर मजार तक-	
		(2)-आदित्य चौक से अम्बेडकर चौराहा होते हुये पुलमट्टा चौराहे तक-	10-सिरौलीखुर्द, 11-दोमहरिया, 12-अंजनिया
		(3)-पुलमट्टा चौराहे से तहसील की सीमा तक -	13-भंगा, 14-मिपलिया, 15-बरा, 16-बरी, 17-शहदौला
		हल्द्वानी बरेली राजकीय राजमार्ग-	18-खुरधिया, 19-आनन्दपुर
	श्रेणी (ङ)-	(1)-बोडिया चौराहे से नगला चौराहा तक-	
		(2)-हल्द्वानी बाईपास चौराहे से आदित्य चौक तक।	
		किच्छा बरेली राजकीय राजमार्ग-	20-सतुईया
		(1) पुलमट्टा चौराहे से तहसील की सीमा तक-	
	श्रेणी (च)-	लालपुर से आनन्दपुरमोड़ मोटर मार्ग-	21-महाराजपुर, 22-कनकपुर, 23-इन्दरपुर, 24-प्रतापपुर(गाराधनपुर)
		ग्रामीण खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग-	25-चावर
		हल्द्वानी बरेली राजकीय राजमार्ग-	26-बहरामोहन, 27-तुर्कामोरी, 28-नूरपुर, 29-गड़रियावाग,
		(1)-बोडिया चौराहे से नगला चौराहा तक-	30-खमिया नं0-1
	श्रेणी (छ)-	(2)-हल्द्वानी बाईपास चौराहे से आदित्य चौक तक।	
		किच्छा दरक मोटर मार्ग-(1) अम्बेडकर चौराहे से तहसील की सीमा तक-	31-छिन्की, 32-सैजना, 33-बोलेनगला
		लालपुर से आनन्दपुरमोड़ मोटर मार्ग-	34-गौरीकला, 35-पण्डरी
		ग्रामीण खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग-	36-धाधा, 37-बहेड़ी
	श्रेणी (ज)-	(1)-पुलमट्टा चौराहे से तहसील की सीमा तक-	
		हल्द्वानी बरेली राजकीय राजमार्ग-	38-गंगोली, 39-रजपुरा, 40-पन्नापुरा
		(1)-बोडिया चौराहे से नगला चौराहा तक-	
		लालपुर से आनन्दपुरमोड़ मोटर मार्ग-	41-मूलागोरी, 42-श्रीपुर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र / विशिष्ट ग्राम हेतु निर्धारित श्रेणीवार विभाजन

ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित श्रेणीवार विभाजन

3- ग्रामीण क्षेत्र-	श्रेणी (क)-	43-खमिया नं0-2 44-खमिया नं0-3 45-खमिया नं0-4 46-कठर्रा 47-अजीतपुर 48-फिरोजपुर 49-कोटखर्रा 50-गऊघाट
	श्रेणी (ख)-	51-पटेरी, 52-बखपुर, 53-गंगापुर चमरान, 54-कनमन, 55-नजीमाबाद, 56-लक्ष्मीपुर, 57-रुद्रपुर सानी

★

अपर विभागाध्यक्ष (वि.स.)
उद्यम सिंह कपूर

कार्यालय उप-निबन्धक किच्छा, उधम सिंह नगर।

51

(नगरीय क्षेत्र हेतु दरें)

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	पृथक् पृथक् (लघुय या शैक्षणिक)	सामान्य दर (Base Rate)							गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर	
				अकृषि / आवासीय भूमि (रूप में प्रति वर्गमीटर)	वास्तुसंजीव भवन में स्थापित आवासीय (रूप में प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रूप में प्रति वर्गमीटर)		ग्राम क्षेत्रों (लिटर पर)	हिनोय क्षेत्रों (टीन पर)			
						सड़क से 0 से 100 मीटर तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक			वृक्षों / शैलियों / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रविष्टि	
1	(क)	महाराणा प्रताप चौक से आदिवा चौक तक किच्छा मुख्य मोटर मार्ग— किच्छा बार्ड नं-3, उत्तरांचल कालोनी एवं विद्युत उपखण्ड बार्ड—(गोविंदा उपखण्ड कालोनी, बंगाली कालोनी, पारस बिक्रम, रमेश मोहनमोटी हंम, चक्रवर्ती धर्मपाला, मुकुंदराय भवन) किच्छा बार्ड नं-5, बलवन्त कालोनी बार्ड—(कालवन्त) खरालाल, अंनोदी मोहन, हरश्रीनगर मन्दिर, धूरधारा भिनाम कालोनी, देवीमन्दिर कालोनी, बलवन्त कालोनी आदिवा चौक से अम्बेडकर चौक तक पानीपत खड़ीमा राष्ट्रीय राजमार्ग— किच्छा बार्ड नं-3, उत्तरांचल कालोनी एवं विद्युत उपखण्ड बार्ड—(गोविंदा, उत्तरांचल कालोनी, बंगाली कालोनी, पावर हाउस, सत्य नैटवर्किंग हंम, चक्रवर्ती धर्मपाला, मुकुंदराय भवन) किच्छा बार्ड नं-4, पुरानी सोनेरी बार्ड—(खन्ना राईस मिल, सोनेरी नरिन्द्र, सिद्धेश्वर मन्दावेय मन्दिर, आवास विकास कार्यालय, उत्तरांचल कार्यालय) आवास विकास—सन्त कृपाल धार मार्ग— किच्छा बार्ड नं-4, पुरानी सोनेरी बार्ड—(खन्ना राईस मिल, सोनेरी मन्दिर, सिद्धेश्वर मन्दावेय मन्दिर, आवास विकास कार्यालय, उत्तरांचल कार्यालय) आवास विकास—मुखानाक द्वारा मार्ग— किच्छा बार्ड नं-4, पुरानी सोनेरी बार्ड—(खन्ना राईस मिल, सोनेरी नरिन्द्र, सिद्धेश्वर मन्दावेय मन्दिर, आवास विकास कार्यालय, उत्तरांचल कार्यालय)	325 लाख	11000	7000	23000	27000	26000	12000	7000		

4

उधम सिंह नगर

कार्यालय उप-निबन्धक किच्छा, उधम सिंह नगर।

(नगरीय क्षेत्र हेतु दरें)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व मार्गों का नाम	कुछि भूमि (रूपया प्रति हैक्टेयर)	सामान्य दर (Basic Rate)							
			अच्छि / आवासीय भूमि (रूपये प्रति वर्गमीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रूपये प्रति वर्गमीटर)		प्रथम श्रेणी (लिटल पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)	
			सड़क से 0 से 100 मीटर तक	अच्छि सड़क से 100 मीटर से अधिक		दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिका			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	(क) -	दीनदयाल चौक से आमेडपुर चौक तक बरेली मार्ग - किच्छा वार्ड नं०-4, पुरानी सोनेसी वार्ड - (धाना लूहेर) जिला, सोनेसी नरिंदर, भिन्नेहार महादेव भन्दि, अलास विजारा कार्यालय, जलकर कार्यालय) किच्छा वार्ड नं०-5, बलवान कालौनी वार्ड - (ऊठबल्ला अरकाट, ओठवीसी० बैंक, इरधीनाथमन्दिर, बुरसवार दिनाग कालौनी, देवीमन्दिर कालौनी, बलवान कालौनी)	325 लाख	11000	7000	23000	27000	26000	12000	7000
1	(ख) -	महाराणा प्रताप चौक से आदित्य चौक तक किच्छा मुख्य मोटर मार्ग - किच्छा वार्ड नं०-1, तहसील वार्ड - (लहरील व धाना कालौनी, अरुणाल कम्पलउड, गैस एजेंसी, इक सुलेखन एजेंसी, अरुणाल कालौनी मोदग) किच्छा वार्ड नं०-2, पत्त कालौनी वार्ड - (पत्त कालौनी, पत्त मार्केट, रेटेड बैंक आफ पटियाला, सारल मील क्षेत्र, एकरासी०आई० मोदग) - किच्छा वार्ड नं०-3, कैनाल कालौनी वार्ड - (कैनाल कालौनी, लेखमणी कालौनी, सोनेमा लैंड, पूड़ी 30, काला की मलार) किच्छा वार्ड नं०-9, दोरिन मली वार्ड - (कोन्डा बोरीन गली) किच्छा वार्ड नं०-11, सिद्ध गली वार्ड - (पीठबल्ला०वी० गेन हाउस, ओवर हैड टैंक सिद्ध मार्केट)	325 लाख	9500	7000	22000	26000	25000	12000	7000

★

उधम सिंह नगर !

कार्यालय उप-निबन्धक किच्छा, उधम सिंह नगर।

53

(नगरीय क्षेत्र हेतु दरें)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (रूपया प्रति हैक्टेयर)	सामान्य दर (Base Rate)						
				अकृषि / आवासीय भूमि (रूपये प्रति वर्गमीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रूपये प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रूपये प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रूपये प्रति वर्गमीटर)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
				सड़क से 0 से 100 मीटर तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	(ख) -	शैनिदगल चौक से अम्बेडकर चौक तक बरेली मार्ग - किच्छा वार्ड नं०-६, नई सुनहरी वार्ड - (सतकपाल अश्वमेधनसंग भवन, टुलसी स्नेहरी) किच्छा वार्ड नं०-७, छोटी मस्जिद वार्ड - (किष्कान कालीनी, कादरी मस्जिद, बार्ड, खटौटी मस्जिद) किच्छा वार्ड नं०-८, कौमाल कालीनी वार्ड - (कौमाल कालीनी, सिमरुली कालीनी, सिनेमा हॉल, चूड़ी शा बाबा की भवारा) महाएला प्रताप चौक से पुणसी घरेली रोड की सीमा तक मार्ग - किच्छा वार्ड नं०-१०, कॉलेज वार्ड - (जनता इण्डर कॉलेज, देवी मन्दिर, नई बस्ती टीलरी जालीनी) महाएला प्रताप चौक से बरिधवा चौराहा तक (किच्छा इन्ड्रानी मार्ग) - किच्छा वार्ड नं०-१, हाइसील वार्ड - (हाइसील १ था ना कम्पाउण्ड, अरुणाल अम्बादेवर, गैर पुणेसी, ट्रक रुटियन गली, आरुणकरीग मोधम) - महाएला प्रताप चौक से प्रताप पुणसी गल्ला मण्डी रोड - किच्छा वार्ड नं०-१३ रेलवे कालोनी वार्ड - (रेलवे कालोनी, एन०६ क्षेत्र, कृष्ण विहार बंदी नौइल्ला) महाएला प्रताप चौक से पुणसी बरेली रोड की सीमा तक मार्ग - किच्छा वार्ड नं०-१२, गुलदारा वार्ड - (हिमेशगंगा, सनारन बर्नमन्दिर, जालखाना, पशुचिकित्सालय, सांयुदाधिक चवक, विनमन्दिर) रेलवे गोदाम रोड - किच्छा वार्ड नं०-१३, रेलवे कालोनी वार्ड - (रेलवे कालोनी, बजार क्षेत्र, कृष्णविहार, देवी मन्दिर)	325 लाख	9500	7000	22000	26000	25000	12000	7000
1	(ग) -		300 लाख	7000	6200	19000	22000	21000	12000	7000

★

उप-निबन्धक (वि. / सं.)
उधम सिंह नगर / 3

तहसील-किच्छा के अन्तर्गत सर्किल रेट निर्धारण किये जाने हेतु

(अर्द्धनगरीय क्षेत्र)

नगरीय क्षेत्र के निकटवर्ती प्रमुख मार्ग/राजमार्ग/अर्द्धनगरीय क्षेत्र/उच्च विभव वाले क्षेत्र/विशिष्ट ग्राम हेतु दरें

सामान्य दर (Base Rate)											
क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	संयोजित ग्राम	कृषि भूमि (कचरा) प्रति हैक्टर		अवधि / आवसीय भूमि की दर (रु०) प्रति वर्गमीटर		व्यवसायिक भवन के दर (सुरत) प्रति वर्गमीटर	वाणिज्यिक भवन के दर (सुरत) प्रति वर्गमीटर	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (कचरा) प्रति वर्गमीटर	प्रधान भूमी (रिजिस्टर पोसा)	द्वितीय श्रेणी (टिन थका)
			सड़क से 0 से 100 मीटर तक	सड़क से 100 मीटर से ऊपर	सड़क से 0 से 100 मीटर से ऊपर	सड़क से 100 मीटर से ऊपर					
1	2	3	5			8	9	10	11	12	
2	(क)- <										

★


 नगर निगम, किच्छा
 तहसील, तहसील

तहसील-किच्छा के अन्तर्गत सर्किल रेट निर्धारण किये जाने हेतु

(अर्द्धनगरीय क्षेत्र)

नगरीय क्षेत्र के निकटवर्ती प्रमुख मार्ग / राजमार्ग / अर्द्धनगरीय क्षेत्र / उच्च विभव वाले क्षेत्र / विशिष्ट ग्राम हेतु दरें

सामान्य दर (Base Rate)											
शेड नं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि ग्रांथि (कृषि या प्रति हेक्टर)	अवशिष्ट / अवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्गमीटर)		अवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (गुजर दरिया का दर प्रति वर्गमीटर)	व्यवसायिक भवन की दर (गुजर दरिया के दर प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (क्रम से प्रति वर्गमीटर)		
				ग्राम से 0 से 100 मीटर तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक		व्यवसायिक भवन की दर (गुजर दरिया के दर प्रति वर्गमीटर)	अव्यवसायिक भवन की दर (गुजर दरिया के दर प्रति वर्गमीटर)	प्रथम क्षेत्र (लिन्डर भीत)	द्वितीय क्षेत्र (टीन पंच)	
1	2	3	5			8	9	10	11	12	
2	(ख)-	पानीपत खडीया राष्ट्रीय राजमार्ग- (1)-आदिवासी चौक से लालपुर मजरा तक- (2)-आदिवासी चौक से अम्बेडकर चौक तक होते हुये पुलभट्टा चौक तक- (3)-पुलभट्टा चौक से तहसील की सीमा तक- हल्द्वानी बरौली राजकीय राजमार्ग- (1)-ब्रिडज चौक से नगला चौक तक- (2)-हल्द्वानी बाईपास चौक से अपरिन्द चौक तक। हैल्द्वी बरौली राजकीय राजमार्ग- (1) पुलभट्टा चौक से तहसील की सीमा तक- लालपुर से आनन्दपुरमोड़ मोटर मार्ग-	9-सीनेरा 10-सिरौलीखुर्द 11-दोमहरिया 12-अजलिया 13-नंग 14-पिपलिया 15-बरा 16-बरी 17-साहदौरा 18-खुरिया 19-आनन्दपुर 20-सोहिया 21-महाराजपुर 22-कानकपुर 23-इन्दरपुर 24-प्रतापपुर (नारायणपुर)	65 लाख 5000 3800 17000 19000 18000 12000 7000							

तहसील-किच्छा के अन्तर्गत सर्किल रेट निर्धारण किये जाने हेतु

(अर्द्धनगरीय क्षेत्र)

नगरीय क्षेत्र के निकटवर्ती प्रमुख मार्ग/राजमार्ग/अर्द्धनगरीय क्षेत्र/उच्च विभव वाले क्षेत्र/विशिष्ट ग्राम हेतु दर

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोडल / सर्वर ग्रामी का नाम	सम्बन्धित ग्राम	सामान्य दर (Base Rate)								
			कृषि मृत्ति (समयावधि हेतु-एक)	अकृषि/आवासीय मृत्ति की दर (एक प्रति वर्गमीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (प्लॉट परियोजना के प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (प्लॉट परियोजना के प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्लॉट परियोजना के प्रति वर्गमीटर)	द्वितीय श्रेणी (सीन फोर)	
				सड़क से 0 से 100 मीटर तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक		पार्किंग/आवारा भूखंड प्रति वर्गमीटर	अन्य वाणिज्यिक भूखंड प्रति वर्गमीटर			
1	2	3	4	5			8	9	10	11	12
2	(ग)-	पानीपत खडीया राष्ट्रीय राजमार्ग- हड़दानी बरेली राजकीय राजमार्ग- (1)-बहिजा चौराहे से जाला चौराहा तक- (2)-हड़दानी भाईवास चौराहे से आदित्य चौक तक। किच्छा दरक मोटर मार्ग-(1) आबेडकर चौराहे से तहसील की सीमा तक- तलामुर से आनन्दपुरगोड मोटर मार्ग-	25-बाचर 26-बहसामोज 27-तुर्कामोरी, 28-तुर्पुर 29-गहरियाहाग 30-खामिया नं०-1 31-डिन्की 32-सैजना 33-सैकनागला 34-गौरीकला 35-पण्डी	45 लाख	3800	3200	15800	17000	16000	12000	7000

★

14.11.2020
उपम संह नगर

तहसील-किछा के अन्तर्गत सर्किल रेट निर्धारण किये जाने हेतु

(अर्द्धनगरीय क्षेत्र)

नगरीय क्षेत्र के निकटवर्ती प्रमुख मार्ग / राजमार्ग / अर्द्धनगरीय क्षेत्र / उच्च विभव वाले क्षेत्र / विशिष्ट ग्राम हेतु दर

सामान्य दर (Base Rate)											
क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मोड़वर्ती / राजमार्ग मार्ग का नाम / मोड़वर्ती / राजमार्ग मार्ग की श्रेणी	ग्राम	सम्बन्धित ग्राम	5	जलवि / जावसीय भूमि की दर (एक प्रति वर्गमीटर)		बहुमंजरीय अवसीय भवन में स्थित जावसीय प्लॉट (सुपर एरिया ब्लॉक प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ब्लॉक प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (ब्लॉक प्रति वर्गमीटर)	वित्तीय श्रेणी (टीन पोथ)
					राजक से 0 से 100 मोटर तक	राजक से 100 मोटर से अधिक		दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन		
1	2	3	4	5			8	9	10	11	12
2	(घ)-	धानीपत खटोमा राष्ट्रीय राजमार्ग (1)-मुलभट्टा बौराहे से तहसील की सीमा तक- हल्द्वानी बरेली राजकीय राजमार्ग- (1)-बिड़वा बौराहे से नगला बौराहा तक- लालपुर से आनन्दपुरमोड़ मोटर मार्ग-	36-धारा 37-बहेडी 38-मगोली 39-रजपुरा 40-धनपुरा 41-मूझानीसे 42-श्रीपुर	30 लाख	3000	2200	15000	16000	15000	12000	7000

★


 अधिकारी
 तहसील
 किछा

58

तहसील-किछा के अन्तर्गत सर्किल रेट निर्धारण किये जाने हेतु (ग्रामीण क्षेत्र)

क्र० सं०	ग्राम / मोहल्ले / राजपुर ग्रामों की श्रेणी	ग्राम / मोहल्ले / राजपुर ग्रामों का नाम	कुल भूमि (कमया प्रति हेक्टेयर)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्गमीटर)		बहुमंजरीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (घुमर एरिया कमरे प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (घुमर एरिया कमरे प्रति वर्गमीटर)		दर वाणिज्यिक निर्माण की दर (कमरे प्रति वर्गमीटर)	
				सड़क से 0 से 100 मीटर तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक		दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनडर पोर)	द्वितीय श्रेणी (रीन पोर)
1	2	3	4			7	8	9	10	11
3	(क)-	43-खमिया नं०-2 44-खमिया नं०-3 45-खमिया नं०-4 46-गडर 47-अजीतपुर 48-फिरोजपुर 49-कोटखर्वा 50-गकवाट	39 लाख	3600	3200	15600	15000	14000	12000	7000
3	(ख)-	51-पटेशी 52-बखपुर 53-गंगापुर बगरान 54-कनमन 55-नजीगाबाद 56-लक्ष्मीपुर 57-खदपुर सानी	28 लाख	2600	2200	14600	14000	13000	12000	7000

✍


उपम सिंह नगर !
उपम सिंह नगर !

जनपद—उधमसिंहनगर में औद्योगिक भूमि की दरें—

नगरीय क्षेत्र	3500 रु० प्रति वर्गमीटर
अर्द्धनगरीय क्षेत्र	2500 रु० प्रति वर्गमीटर
ग्रामीण क्षेत्र	1500 रु० प्रति वर्गमीटर
निर्माण की दरें	7000 रु० प्रति वर्गमीटर

नोट—1. औद्योगिक दरें में मार्गीय वृद्धि देय नहीं होगी।

2. उप निबन्धक काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत महुआखेड़ागंज नगरपालिका की औद्योगिक दरें 2500 रु० प्रति वर्गमीटर प्रभावी होंगी।

★

उधम सिंह नगर
जनपद
मुख्याधिकारी (सि.)
उधम सिंह नगर

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका फार्मुला निम्नलिखित है :-

नोट:- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानिता आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में ह्रास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :- $D = P(1 - RD/100)^N$

$RD = \frac{\text{भवन की औसत आयु}}{100}$

100

D = ह्रास मूल्य (Depreciated Value) P = वर्तमान मूल्य N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)

1 वर्ष	0.990	26 वर्ष	0.770	51 वर्ष	0.598	76 वर्ष	0.465
2	0.980	27	0.762	52	0.592	77	0.461
3	0.970	28	0.754	53	0.587	78	0.456
4	0.960	29	0.747	54	0.581	79	0.452
5	0.950	30	0.739	55	0.575	80	0.447
6	0.941	31	0.731	56	0.569	81	0.443
7	0.932	32	0.724	57	0.563	82	0.438
8	0.927	33	0.717	58	0.558	83	0.434
9	0.913	34	0.710	59	0.552	84	0.429
10	0.904	35	0.703	60	0.547	85	0.425
11	0.890	36	0.696	61	0.541	86	0.421
12	0.880	37	0.689	62	0.536	87	0.417
13	0.870	38	0.682	63	0.530	88	0.412
14	0.868	39	0.675	64	0.525	89	0.408
15	0.860	40	0.668	65	0.518	90	0.404
16	0.851	41	0.662	66	0.515	91	0.400
17	0.842	42	0.655	67	0.509	92	0.396
18	0.834	43	0.649	68	0.504	93	0.392
19	0.826	44	0.642	69	0.499	94	0.388
20	0.817	45	0.636	70	0.494	95	0.384
21	0.809	46	0.629	71	0.489	96	0.381
22	0.801	47	0.623	72	0.484	97	0.377
23	0.793	48	0.617	73	0.480	98	0.373
24	0.785	49	0.611	74	0.475	99	0.369
25	0.777	50	0.605	75	0.470	100	0.366


 सचिव, नगरपालिका (वि. / श.)
 सचिव सिंह नगर

सामान्य निर्देशिका:-

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड के दिनांक-12 जनवरी 2018 पत्रांक संख्या-27 (1)/2018/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 के निर्देश के क्रम में सामान्य निर्देशिका:-

1. यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-

- (क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 5 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (ख) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (ग) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (घ) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,

2. वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।

3. शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिसमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियाँ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्गत सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरे प्रभावी होगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथम तल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत की छूट देय होगी। तथा तृतीय तल एवं ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

4. ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्न खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।

5. एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तर्गत वित्तीय में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरे प्रभावी होगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

6. 1000 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी। परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।

7. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियाँ हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप

4

1

सचिव सिडकुल नगर

22. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम दर प्रभावी होंगी।
23. मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
24. मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहाँ से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
25. किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभावता या उस पर प्रभाव शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
26. मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।
- विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र, 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
 - विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1. दुकान, 2. रेस्टोरेन्ट, 3. कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तर्गत कृषि/अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित संज्ञक-सड़कों/मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - पक्षकारों द्वारा अंतरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। जो विलेख का भाग माना जायेगा।

(जगदीश चन्द काण्डपाल)
 अपर जिवाधिकारी,
 जिला न्यायालय (वि. / रा.)
 उधम सिंह नगर।

नगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

35

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मोड़ / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोड़ / राजस्व ग्रामों के नाम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रू० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)						
				अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)		बहुसंख्यीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी टीन पोश
				सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	(क) काशीपुर-छत्रपुर मार्ग NH-74 (नगर पालिका के अन्तर्गत)	(बराखड़ा के अन्तर्गत) 1-गुरुदारा सिंह सम्राट-वार्ड-1 2-गोधीनगर-वार्ड-2 3-राजकीय इण्डर कालेज-वार्ड-3 4-शिव मन्दिर वार्ड-वार्ड-4 5-परशुदित्तसालय वार्ड-9 6-आजाद नगर वार्ड-8 7-पंजाबी कालोनी वार्ड-07	484	11400	10000	23400	26900	26300	12000	7000
	मूलरगोज मार्ग (नगर पालिका के अन्तर्गत)	(बराखड़ा के अन्तर्गत) 1-आवास-विकास वार्ड-5 2-इस्लामनगर वार्ड-06	484	11400	10000	23400	26900	26300	12000	7000

अपर विभागाध्यक्ष (वि. / रा. उद्यम सिंह नगर)

नगरीय क्षेत्र तहसील नदरपुर

26

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मोड़ो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोड़ो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर १०० लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)				गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भूदान की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	क एन०एच०-74 (नगर पालिका के अन्तर्गत)	रामजीवनपुर		80	9900	8700	21900	25300	24700	12000	7000
	ख एन०एच०-74 (नगर पालिका के अन्तर्गत)	शंखिया		85	10400	9200	22400	25800	25200	12000	7000
	ग कुलवन्तनगर लिंक रोड (नगर पालिका के अन्तर्गत)	लखनऊ		80	8000	7300	20000	23200	22600	12000	7000

अपर निरीक्षणकारी (वि. उपरम सिंह नगर)

नगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

(3)

क्र० सं०.	प्रमुख मार्ग/मौहो/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौहो/राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	क्षेत्रीय भूमि (प्रति हेक्टेयर रू० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)							
					अक्षुब्ध / आवासीय भूमि की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परिसर प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		ग्राम क्षेत्रीय (लिट्टर/गैस)	हितीय क्षेत्रीय टीन प्रेश	
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		हुकान/स्टेड/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	क	नगरपंचायत दिनेशपुर ग्राम वनवाहन		73	8600	8000	20600	23900	23300	12000	7000	
	गूलरभोज रोड	1-मांझीनगर बार्ड न०-1 2- मोरीपुर बार्ड न०-2		73	8600	8000	20600	23900	23300	12000	7000	
	गदरपुर-मटकोटा रोड	1- घरनाई बार्ड न०-3 2- दुर्गा मन्दिर बार्ड न०-4		73	8600	8000	20600	23900	23300	12000	7000	
	जाफरपुर रोड	1- अस्ताल बार्ड न०-5 2- शास्त्रीनगर बार्ड न०-6 3- देवाजीनगर बार्ड न०-7 4- रविन्दनगर बार्ड (प्रस्तावित)		73	8600	8000	20600	23900	23300	12000	7000	
1	ख	नगरपंचायत गूलरभोज के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र		27	5500	5400	17500	20500	19900	12000	7000	
	गूलरभोज-कूल्हा रोड	1-कोषा- बार्ड न०-1 नई बस्ती कोषा 2-कोषा- बार्ड न०-4 नई बस्ती 3-कोषा- बार्ड न०-8 ग्राम सभा कोषा का शारीरिक भाग, कैनाल कोलोनी नम्बर-2		27	5500	5400	17500	20500	19900	12000	7000	
	गूलरभोज-हरिपुर रोड	1- कोषा- बार्ड न०-6 गडर बस्ती 2-कोषा- बार्ड न०-7 गोजाई, कैनाल कोलोनी नम्बर-2		27	5500	5400	17500	20500	19900	12000	7000	
	गूलरभोज-गदरपुर रोड	1-गोविन्दपुर- बार्ड न०-2, गोविन्दपुर 2-गोविन्दपुर- बार्ड न०-3 मन्दावन सन्तोषनगर, टण्डपुरी		27	5500	5400	17500	20500	19900	12000	7000	

4

उत्तराखण्ड सरकार
उत्तराखण्ड विधानसभा
उत्तराखण्ड विधानसभा

अर्धनगरीय क्षेत्र तहसील नदरपुर

(35)

क म सं ख 1	प्रमुख मार्ग / रा हडो / या जस्त ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	वृत्ति भूमि (प्रति हेक्टेयर को लाख में)	अवधि / आवासीय भूमि की दर (को प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)		वैकल्पिक दर		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 100 मी. तक	सड़क से 100 मी. से अधिक	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय	गलैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्डरेश)	द्वितीय श्रेणी टीन पेशा
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	(क)	काशीपुर रुद्रपुर मार्ग NH-74	बराखेडा	85	10500	9300	22500	25000	24400	12000	7000	
	(ख)	काशीपुर रुद्रपुर मार्ग NH-74	1-डोकपुरी 2-मोसिया	79	10200	9000	22200	24700	24100	12000	7000	
	(ग)	काशीपुर रुद्रपुर मार्ग NH-74	1-झाड़पुरी 2-मोतियापुरा 3-विपतिया 4-बुधानगर	79	8600	8100	20600	22800	22300	12000	7000	
	(घ)	काशीपुर रुद्रपुर मार्ग NH-74	महलेश	81	10200	9000	22200	24700	24100	12000	7000	

अध्यापक काशी वि. / र
उद्यम सिंह नगर ।

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

29

सामान्य दर (Base Rate)											
क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मोड़ 0/राजस्थान ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोड़ 0/राजस्थान ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	क्षेत्र भूमि (प्रति हेक्टेयर 100 लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजरीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (गुपर परिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक मकान की दर (गुपर परिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	(इ)	काशीपुर खदपुर मार्ग NH-74	मसीत	81	8600	8100	20600	23000	22400	12000	7000
	(ब)		परखरकुई	72	8700	8100	20700	23100	22500	12000	7000
	(ब)		1-फतेहगंज 2-मजराहसन	72	7400	6800	19400	21700	21100	12000	7000
	(ज)		रामजीवनपुर	67	9700	8700	21700	24200	23600	12000	7000

अपर विभागाधिकारी (वि. / र.)
उपम सिकंदर नगर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

क्र.सं. संख्या:	ग्रामपंच मार्ग/मोहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	ग्रामपंच मार्ग/मोहो/र जफ्त ग्रामों के नाम	समाविष्ट ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर रकम लागू करें)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (रकम प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
					सड़क से 100 मी0 तक	सड़क से 100 मी0 से अधिक		दुकान/ रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		प्रथम श्रेणी (लिट्टर-यश)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2	(क)	गदरपुर गुलरगोला मार्ग	1-धनपुर-विजयपुर	79	8500	8200	20500	22900	22300	12000	7000
	(ख)	गदरपुर गुलरगोला मार्ग	गोपालनगर	73	6600	6400	18600	20800	20200	12000	7000
3	(क)	गदरपुर से दिनेशपुर से गुलरगोला रोड	1-बेरीपई 2-बननगर 3-मदनपुर 4-कूल्हा	79	8300	8000	20300	22600	22000	12000	7000
	(ख)	गदरपुर से दिनेशपुर से गुलरगोला रोड	खटोला	67	7700	7500	19700	22000	21400	12000	7000


 जयपुर विस्वाभिकारी (प्रा.)
 जयपुर डिप्टी कमिश्नर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मालखंड / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मालखंड / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	सामान्य दर (Base Rate)							
				कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर कर)	अकृषि / आवासीय भूखे की दर (प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मीटर तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिक्रान
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3	(ग)	गदरपुर से दिनेशपुर से गुलरमोज रोड	1-वरनपुर 2-जगनपुरी	20	4800	4700	16800	18800	18200	12000	7000

अपर विभागाधिकारी (वि. / रा.)
उद्यम सिंह नगर !

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

क्र. संख्या	ग्राम / मोहो / चानस / चानस ग्रामों के क्षेत्र	ग्राम / मोहो / चानस ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टर पर १०० लाख रु.)	अकृषि / अवासीय भूमि की दर (रु. प्रति वर्ग मीटर)		सड़क से १०० मी० तक	सड़क से १०० मी० से अधिक	समान्य दर (Dise Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर (गुप्त दरिया प्रति वर्गमीटर)	अन्य वाणिज्यिक भवन की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी की
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
4	(क)	दिनेशपुर से जामपुर	हुकमीरा	82	8800	8300	20600	23000	22400	12000	7000		
	(ख)	दिनेशपुर से जामपुर	आनन्दपुर	73	6600	6400	18600	20700	20100	12000	7000		
	(ग)	दिनेशपुर से जामपुर	चन्द्रावन	67	7800	7600	19700	22000	21400	12000	7000		
5	(क)	सरदार नगर से बैरिया चौक नगर	निखरनगर	73	6600	6400	18600	20700	20100	12000	7000		

अध्यापक (वि. वि.)
उत्तम सिंह नगर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहो / राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	सामान्य दर (Base Rate)							
				कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर ₹० लाख में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (₹० प्रति वर्ग मीटर)		घटुमजदारीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (ग्राम प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (ग्राम प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
01	02	03	04	05	सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	06	दुकान / स्टोरेज / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिकान	प्रथम श्रेणी (लिटरफुज)	द्वितीय श्रेणी टीन पेश
5	(ख)	सरदार नगर से बेरिया दीलत मार्ग	1-नन्दापुर 2-खानपुर पश्चिम 3-खैरापुर	67	7700	7600	19700	22000	21400	12000	7000
	(ग)	सरदार नगर से बेरिया दीलत मार्ग	खैरापुर	21	5000	4900	17000	19000	18400	12000	7000
	(घ)	सरदार नगर से बेरिया दीलत मार्ग	खानपुर	20	4800	4500	16600	18600	18000	12000	7000


 उपायुक्त, तहसील गदरपुर (ग.स.स.)
 गदरपुर, जिला गढ़वाल, उत्तरांचल प्रदेश

(43)

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

५५

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग/मोहरे 0/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहरे/राजस्व ग्रामों के नाम	सम्बन्धित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टर का)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (प्रति वर्ग मीटर)			सामान्य दर (Base Rate)		योजित/व्ययक्त भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	वैदेशीय श्रेणी टीन मोश
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	ग्राम श्रेणी (लिन्दरगोश)		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
6	(क)	गदरपुर से सकैनिया	सकैनिया	79	8800	8100	20800	23200	22800	12000	7000	
	(ख)	गदरपुर से सकैनिया	गदरपुर	73	6600	6400	18600	20800	20200	12000	7000	
	(ग)	गदरपुर से सकैनिया	रजपुर-कुडुबपुर	67	7800	7500	19800	22000	21400	12000	7000	

अध्यापक/कार्यकारी (वि/रा.)
रजम सिंह नगर

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग / मीट्रो / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मीट्रो / राजस्व ग्रामों के नाम	संबंधित ग्राम	कृषि भूमि (प्रति हेक्टेयर का लाइट में)	अकृषि / आवासीय भूमि की दर (का 0 प्रति वर्ग मीटर)		सड़क से 100 मीटर से अधिक	सड़क से 100 मीटर से अधिक	सामान्य दर (Base Rate)			गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	
									बहुमंजरीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रत्यक्ष श्रेणी (लिन्डरग्रेड)	द्वितीय श्रेणी टीन पोश
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
8	(क)	अन्य विशेष ग्राम	1. भीमरखड़ा	73	6800	6400	18600	20800	20200	12000	7000		
	(ख)	अन्य विशेष ग्राम	1. लखनऊ	73	7800	7200	19800	22000	21400	12000	7000		
	(ग)	अन्य विशेष ग्राम	1. गदरपुरी 2. कनकट	73	6600	6400	18600	20800	20200	12000	7000		
	(घ)	अन्य विशेष ग्राम	1. गुमवाड़ा 2. रिखवा 3. मुकन्दपुर	67	7700	7500	19700	22000	21400	12000	7000		

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.

अर्द्धनगरीय क्षेत्र तहसील गदरपुर

(45)

क्र.सं. संख्या	प्रमुख मार्ग/मौह 0/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौह/राजस्व ग्रामों के नाम	सम्पत्तिगत ग्राम	कुछ भूमि (प्रति हेक्टेयर का लाख में)	अकुछ/आवासीय भूमि की दर (का प्रति वर्ग मीटर)		सामान्य दर (Base Rate)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	द्वितीय श्रेणी दीन पोश
					सड़क से 100 मी० तक	सड़क से 100 मी० से अधिक		शुद्धमजिदीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	दुकान/ रैस्टोरेंट/ कार्यालय		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
7	(क)	महलौष से नवाबगंज रोड	अलखदेवी	79	8300	8000	20300	22600	22000	12000	7000
	(ख)	महलौष से नवाबगंज रोड	अलखदेवी	61	6600	6400	18600	20800	20200	12000	7000
	(ग)	महलौष से नवाबगंज रोड	रतनपुरा	21	5000	4800	17000	19000	18400	12000	7000
	(घ)	महलौष से नवाबगंज रोड	रतनपुरा	20	4600	4400	16600	18600	18000	12000	7000

अपर निगरानीकारी (वि. / ए. / ए.)
उत्तम सिंह नगर

ग्रामीण क्षेत्र तहसील गदरपुर

क्र. संख्या	ग्राम/सौख/र नाम/सौख/र श्रेणी	ग्राम/सौख/र नाम	कुल भूमि (प्रति हेक्टर पर 100 लाख में)	अच्छे/आवसीय भूमि की दर (प्रति वर्ग मीटर)	सड़क से 100 मीटर तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक	सामान्य दर (Basse Rate)	वाणिज्यिक भवन को दर (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर)	दुकान/स्टोरेज/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मीटर)	स्थान श्रेणी (लिक्विडेशन)	स्थानीय श्रेणी टीन फ़्लो
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11			
8	(क)	1-रामपुर 2-बकीनिया 3-सरोवरनगर 4-कुआंछेका	21	5000	4800	17000	17500	16900	12000	7000			
	(ख)	1-हुसैनपुर 2-बलखड़ा	21	5800	5300	17800	18400	17800	12000	7000			
	(ग)	1-रघुमिनगर 2-नारायणपुर	20	4800	4600	16800	17300	16700	12000	7000			
	(घ)	1-रुसालपुर 2-कोण 3-गोविन्दपुर 4-दीपरी ब्लाक 5-कानकरा 6-कुईखेड़ी 7-रघुमिनगर	20	4600	4400	15600	17000	16400	12000	7000			

उपस्थित अधिकारी (वि. सं.)
उपस्थित नगर

24/11/18

13

आदेश

सचिव विल्ल उत्तराखण्ड शासन देहरादून विल्ल अनुभाग-9 के पत्र संख्या 27/2018/27(9)/स्टाम्प-80/2008 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी निदेश तथा महानिरिक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1020/मोनि0नि0/2017-18 दिनांक 12.01.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड सम्मति का मूल्यांकन नियमावली 2015 के अनुसार कार्यालय के पत्र संख्या 626/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2016-17 दिनांक 19.08.2018 द्वारा पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची जो दिनांक 19.08.2018 से प्रभावी है, को संशोधित करते हुए जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित तहसीलवार भूमि एवं भवनों (सम्पत्ति) की वरों का स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क भुगतान के प्रयोजन हेतु संशोधित मूल्यांकन सूची शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में संशोधित की जाती है, जो आज दिनांक 14.01.2018 से प्रभावी होगी।

(हस्ताक्षर नीरज खेरवाल)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
ऊधमसिंहनगर

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर, ऊधमसिंहनगर।

पत्र संख्या--529/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2017-18 दिनांक - 14 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि-विभागीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विल्ल (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विल्ल (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिरिक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/उपनिबन्धक, ऊधमसिंहनगर।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी/नगर निगम/नगर पालिका परिषद/छावनी क्षेत्र/नगर पंचायत, ऊधमसिंहनगर।
9. जिला निबन्धक/सहायक आयुक्त स्टाम्प, ऊधमसिंहनगर।
10. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
11. कार्यालय प्रति।

(जगदीश चन्द काष्ठपाल)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
ऊधमसिंहनगर।

निबन्धन उप-जिला रुद्रपुर, जनपद-ऊधम सिंह नगर।

नगरीय क्षेत्र हेतु निर्धारित श्रेणीवार विभाजन

नगरीय क्षेत्र -	
1	श्रेणी (क)
	रामपुर-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग (सोनिया होटल के पुल से अटरिया मोड़ (बाईंदिहल ऑफिस) तक)
2	श्रेणी (क)
	रुद्रपुर काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग - (इन्दा चौक से गाथा धर्मकांटा तक)
3	श्रेणी (क)
	काशीपुर रुद्रपुर बाईपास मार्ग - (दीन दयाल चौक से गाथा धर्मकांटा तक)
4	श्रेणी (क)
	रुद्रपुर किच्छा राष्ट्रीय राजमार्ग - (इन्दा चौक से तीन पानी तिराहा तक)
5	श्रेणी (क)
	किच्छा बाईपास मार्ग - (पं० दीन दयाल चौक से कल्याणी नदी के पुल तक) किच्छा बाईपास मार्ग - (संत बाबा ईसर सिंह बेदी गेट से लेकर तीन पानी तिराहा तक)
6	श्रेणी (क)
	किच्छा बाईपास मार्ग - (कल्याणी नदी के पुल से गंगापुर मोड़ संत बाबा ईसर सिंह बेदी गेट तक)
7	श्रेणी (क)
	अन्य लिंक मार्ग - (शिवनगर से ट्रांजिट कैम्प मध्य कन्या जुनियर हाई स्कूल तक) अटरिया मन्दिर से हत्ती चौक क्षेत्र मार्ग तक - (आवास विकास का क्षेत्र) (गुलानाक इण्टर कालेज से इन्दा कालोनी तक) (इन्दा कालोनी से आदरा इन्दा बंगाली कालोनी रोड तक) ट्रांजिट कैम्प के मध्य राधा कृष्ण मन्दिर से होते हुए अनुकूल ठाकुर मन्दिर से मुखर्जनगर तक - (ट्रांजिट कैम्प का क्षेत्र) भूतबंगला के सामने से रम्पुर निवाला मार्ग
7	श्रेणी (ख)

(1)

नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-7 (रमपुर का दक्षिणी-पूर्वी भाग)

अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु निर्धारित श्रेणीवार विभाजन

अर्द्धनगरीय क्षेत्र -	8	श्रेणी (क)	काशीपुर-रूद्रपुर-किच्छा राष्ट्रीय राजमार्ग N.H.-74 (खानपुर पूर्व से लालपुर मजार तक)	1 - खानपुर पूर्व 5 - रम्पुरा 9 - शिमला पिस्तौर	2 - जाफरपुर 6 - रूद्रपुर 10 - कोठा	3 - कोलडिया 7 - बिगवाडा 11 - लालपुर	4 - दानपुर 8 - भमरौला
	9	श्रेणी (क)	रामपुर-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग (हिम्री कालेज से फूलबाग की सीमा तक)	12 - फाजलपुर महारौला 15 - मटकोटा	13 - जगतपुर 16 - भुझरानी	14 - कल्याणपुर 17 - फूलबाग	
	10	श्रेणी (क)	दिनेशपुर मार्ग (छत्तरपुर रेलवे क्रॉसिंग अशोकालिलेण्ड से श्रीरामपुर की सीमा तक)	18 - छत्तरपुर 19 - जयनगर	20 - विजयनगर		
	11	श्रेणी (क)	अन्य मार्ग (रागापुर नगला रोड फूलसुंगी से लोहरा की सीमा तक)	21 - फूलसुंगी 22 - लोहरा	23 - लोहरा		
	12	श्रेणी (क)	अन्य मार्ग (ट्रांजिट कैम्प से फूलसुंगी मार्ग) दानपुर से मनिहार खेड़ा रोड)	24 - लमरा 27 - कोलडा	25 - शिमला बहादुर 26 - फूलसुंगी		
	13	श्रेणी (क)	(लालपुर से नगला मार्ग) (दानपुर से रायपुर अमरपुर मार्ग) लिक मार्ग (जाफरपुर से लम्बाखेड़ा सैयदअली गंज) (जयनगर से दिनेशपुर मार्ग)	28 - रामेश्वरपुर 29 - बिन्दुखेड़ा 32 - लम्बाखेड़ा	30 - रायपुर 31 - अमरपुर 33 - सैयद अलीगंज		
				34 - श्रीरामपुर			

ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित श्रेणीवार विभाजन

ग्रामीण क्षेत्र -	14	श्रेणी (क)	35- बगवाला 40- सैजनी	36- गंगापुर पटिया 41- रहपुरा	37- खमारिया 42- मलसी	38- मलसा गिरधरपुर 43- बड़ौरा	39- कुरैया
-------------------	----	------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------

(2)

अपर विभागाधिकारी (वि./स.)
सहम सिंह नगर !

तहसील रुद्रपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग / मुख्य मार्ग / नगरीय मौहल्ले / वार्ड की दरें (नगरीय क्षेत्र)

सामान्य दर (Basic Rate) (रुपये / स.म.प्रति)									
क्र.सं. वार्ड / मोहल्ला राजी की दरें	मुख्य मार्ग / मोहल्ला का नाम	वृत्ति प्रति (रु. प्रति कि.मी.) (कर दर)	अच्छी वृत्ति पर प्रति स.म.प्रति (रु. प्रति स.म. प्रति)		सामान्य दर (रु. प्रति स.म. प्रति)	मालीयत पर प्रति स.म. प्रति (प्रति स.म. प्रति)		श्री. वार्ड/मोहल्ला वृत्ति पर प्रति स.म. प्रति (प्रति स.म. प्रति)	
			स.म.प्रति 0 से 100 मीटर दरें तक	स.म.प्रति 100 मीटर से अधिक दूरी		सूचना / स.म.प्रति / स.म.प्रति	अन्य वार्ड/मोहल्ला वृत्ति पर	अन्य वार्ड/मोहल्ला वृत्ति पर	अन्य वार्ड/मोहल्ला वृत्ति पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राष्ट्रीय राजमार्ग - (मोहल्ला वार्ड के पूरा से अच्छी वार्ड मोहल्ला तक) (मोहल्ला वार्ड) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-8 मुख्य मार्ग - वार्ड नं-9 मुख्य मार्ग - वार्ड नं-10 मुख्य मार्ग - वार्ड नं-11 मुख्य मार्ग - वार्ड नं-12 मुख्य मार्ग - वार्ड नं-13 मुख्य मार्ग - वार्ड नं-14 मुख्य मार्ग - वार्ड नं-15 मुख्य मार्ग - वार्ड नं-16 मुख्य मार्ग - वार्ड नं-17 मुख्य मार्ग - वार्ड नं-18 मुख्य मार्ग - वार्ड नं-19	675	21000	17500	33000	58300	51000	12,000	7,000
2	राष्ट्रीय राजमार्ग - (मोहल्ला वार्ड के पूरा से अच्छी वार्ड मोहल्ला तक) (मोहल्ला वार्ड) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-9 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-10 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-11 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-12 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-13 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-14 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-15 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-16 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-17 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-18 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-19 (आर्थिक)	676	21000	17500	33000	58300	51000	12,000	7,000
3	राष्ट्रीय राजमार्ग - (मोहल्ला वार्ड के पूरा से अच्छी वार्ड मोहल्ला तक) (मोहल्ला वार्ड) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-10 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-11 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-12 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-13 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-14 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-15 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-16 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-17 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-18 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-19 (आर्थिक)	675	21000	17500	33000	58300	51000	12,000	7,000
4	राष्ट्रीय राजमार्ग - (मोहल्ला वार्ड के पूरा से अच्छी वार्ड मोहल्ला तक) (मोहल्ला वार्ड) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-10 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-11 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-12 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-13 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-14 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-15 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-16 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-17 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-18 (आर्थिक) मुख्य मार्ग - वार्ड नं-19 (आर्थिक)	475	16000	15000	28000	52000	43000	12,000	7,000

(3)


 जिलाधिकारी (वि.सं.)
 रुद्रपुर जिला

राहसील रुद्रपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग/मुख्य मार्ग/नगरीय मोहल्ले/वार्ड की दरें (नगरीय क्षेत्र)

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग/मोहल्ले राजमार्ग नं०/राजमार्ग की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्ले का नाम	कुल भूमि (रू. प्रति हैक्टेयर) (रू.प्रति लाख में)	अकृषि भूमि दर प्रति वर्गमीटर (रू. हजार में)		कृषि योग्य भूमि (रू. प्रति हैक्टेयर)	वाणिज्यिक भवन की दर (किग्रा प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रू.प्रति वर्गमीटर निर्माण की दर)	
				सड़क 0 से 100 मीटर चौड़ी तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक दूरी		इकान /रेस्टोरेंट /कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिटरप्रवेश)	द्वितीय श्रेणी (टीनप्रवेश)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
5	श्रेणी क	किछा बाईपास मार्ग - (को दीन दयाल चौक से कल्याणी नदी के पुल तक)	475	14000	11000	26000	56000	48500	12,000	7,000
		नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-18								
		किछा बाईपास मार्ग - (सुता बाबा ईश्वर सिंह देवी गेट से लेखर सीन मार्ग निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-4 तक)	475	14000	11000	26000	56000	48500	12,000	7,000
		नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-4								
6	श्रेणी ख	किछा बाईपास मार्ग - (कल्याणी नदी के पुल से गंगापुर रोड सहित इला ईश्वर सिंह देवी गेट तक)	475	14000	11000	26000	56000	48500	12,000	7,000
		नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-2 (आर्थिक)								
		नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-3 (आर्थिक)								
		नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-5 (आर्थिक)								
7	श्रेणी क	नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-8 (आर्थिक)								
		अन्य विकास मार्ग - (सिन्धुगढ़ से हाथिल केम कला घुमिचरु हाई स्कूल तक)	475	14500	11500	26500	56000	48500	12,000	7,000
		नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-2								
		नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-3 (आर्थिक)								
		अन्य विकास मार्ग - (सिन्धुगढ़ से देवी चौक दीन मार्ग तक-आवास विकास का क्षेत्र)	400	17000	15000	29000	60000	53000	12,000	7,000
		नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-19 (आर्थिक)								
		नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-20								
		पुष्पावली इण्डस्ट्रियल एरिया से इन्दा कालानी तक	400	15,000	12,000	27000	56000	49000	12,000	7,000
		नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-15								
		इन्दा कालानी से आरवा इन्दा कालानी (वैद्य तक)	400	15,000	12,000	27000	56000	48000	12,000	7,000
		नगर निगम रुद्रपुर-वार्ड नं०-16								

(4)

अध्यक्ष विकास कार्य (वि.सं.)
उपम सहित नगर

तहसील रुद्रपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग / मुख्य मार्ग / नगरीय मौहल्ले / वार्ड की दरे (नगरीय क्षेत्र)

क्र० स०	प्रमुख मार्ग/मौ हल्ले/वार्ड की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौहल्ले राजमार्ग का नाम	क्षेत्रीय भूमि (कुल प्रति हेक्टेयर) (रूपये लाख में)	अकुई दर प्रति वर्गमीटर (रु० हजार में)		बहुवर्गीय आवासीय परिसर प्रति वर्ग मीटर	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
				सड़क 0 से 100 मीटर तक	मकान में 100 मीटर से अधिक दूरी		दुकान / रेस्तरां / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (रिजिस्ट्रारों)	द्वितीय श्रेणी (टीनपेशों)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
7	श्रेणी ख	वैदिक क्षेत्र के मध्य तथा कुछ मंदिर से होते हुए अनेकाले बाकुर मंदिर से मुख्य निगम तक - (वैदिक क्षेत्र का क्षेत्र) नगर निगम, रुद्रपुर-वार्ड नं०-1 मुख्य मार्ग के सामने से मुख्य निगम मार्ग नगर निगम, रुद्रपुर-वार्ड नं०-2 (रुद्रपुर का क्षेत्रीय-पूर्व मार्ग)	350	13000	11,000	25000	49000	42000	12,000	7,000
			350	11,000	10,000	23000	43000	38000	12,000	7,000


 अणवर हुसैन
 अणवर हुसैन नगर 1

उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास अनुभाग 3 संख्या 2291(2) (2)/2017.01(53)/2010 दिनांक 20 नवम्बर 2017 की अधिसूचना के द्वारा नगर निगम रुद्रपुर, में, सम्मिलित तहसील रुद्रपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग/मुख्य मार्ग के विरिस्ट ग्राम/ग्रामों की दरें

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग/सो 0/राजमार्ग/ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो राजमार्ग ग्रामों का नाम	कुर्बी ग्रामी (कम प्रति हेक्टर)	अकुर्बी दर प्रति वर्गमीटर (कम हजार में)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (गुजर एरिया कम प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (गुजर एरिया प्रति वर्गमीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (कम प्रति वर्ग मीटर)	
				पाइक 0 से 100 मीटर दूरी तक	पाइक 100 से अधिक दूरी		दुकान /रेस्टोनेट /कारवाय	अन्य वाणिज्यिक भवित्तन	प्रथम श्रेणी (रिजिस्ट्रार)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
8	क	कड़ीपुर-ऊदपुर-किरका राष्ट्रीय राजमार्ग N.H.-74 (खानपुर पूर्व से खालपुर मजार तक) 1- रामपुर 2- ऊदपुर 3- विनवाड़ा	125	8000	7500	20000	36000	30000	12,000	7,000
	श्रेणी	रामपुर-मैगीलाल राष्ट्रीय राजमार्ग (द्वितीय कालेज से पुलवाग की सीमा तक) 1- फाजलपुर महरौला 2- जनतपुर 3- कल्याणपुर 4- भुइयानी	125	8000	7500	20000	36000	30000	12,000	7,000
1	क	अन्य मार्ग (गंगापुर जाला रोड पुलवाग से लोहर की सीमा तक) 1- पुलवाग	100	6500	6000	18500	32000	25000	12,000	7,000
2	क	अन्य मार्ग (इंजिनेट केम से पुलवाग मार्ग) 1- लमरी 2- शिमला बरीदर 3- पुलवाग	120	7000	5500	18500	34000	29500	12000	7000

(6)

उत्तराखण्ड शासन
नगर विकास विभाग
रुद्रपुर

तहसील रुद्रपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग / मुख्य मार्ग के विशिष्ट ग्राम / ग्रामों की दूरे (अर्द्धनगरीय क्षेत्र)

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग/मोड़ या ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोड़/लॉन्ग राजस्व मार्गों का नाम	शुद्ध दूरी (किलो मीटर तक)	अकृषि दूर प्रति वर्गमीटर (किलो मीटर में)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय परिसर (कुल घरों की संख्या)	वाणिज्यिक भवन की दूर (किलो मीटर प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र में)		नैऋत्य वाणिज्यिक निर्माण की दूर (किलो मीटर प्रति वर्गमीटर)		
				सड़क 0 से 100 मीटर दूरी तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक दूरी तक		दुकान / रेस्तराँ / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक भवन	प्रथम श्रेणी (लिटर/घंटा)	द्वितीय श्रेणी (लीन/घंटा)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	श्रेणी क	काशीपुर-रुद्रपुर-किष्क राष्‍ट्रीय राजमार्ग N.H.-74 (खानपुर पूर्व से लालपुर मजार तक) 1- खानपुर पूर्व 2- जाफरपुर 3-कोलहिया 4-दानपुर 5- मनसैला 6- शिमला पिरसौर 7- कोरा 8- लालपुर	110	8000	7000	20000	36000	30000	12,000	7,000	
	श्रेणी क	रामपुर-मैतीताल राष्‍ट्रीय राजमार्ग (शिथी कालेज से फूलबाग की सीमा तक) 9- मटकोटा 10- फूलबाग	110	8000	7000	20000	36000	30000	12,000	7,000	

X

मुख्य निवासि कारी (वि. / स.)
वसंत सिंह नगर !

तहसील रुद्रपुर के मुख्य/अन्य मार्ग के विशिष्ट ग्राम/ग्रामों की दरें (अर्द्धनगरीय क्षेत्र)

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग/राजस्व ग्रामों/ग्रामों की क्षेत्री	प्रमुख मार्ग/राजस्व ग्रामों का नाम	वृष्टि शक्ति (रू० प्रति हेक्टेयर)	अवधि दर प्रति वर्गमीटर (रू० हजार में)		बहुमंजरीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय पर्यट (सुपर एरिया) रू० प्रति वर्ग मीटर	वाणिज्यिक भवन की दर (किसीय प्रति वर्गमीटर प्रति मीटर क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	
				सड़क 0 से 100 मीटर दूरी तक	सड़क से 100 मीटर से अधिक दूरी तक		दुकान/रेस्टोरान्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्डरपार)	द्वितीय श्रेणी (टीनपार)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
10	श्रेणी क	दिनेशपुर मार्ग (छत्तरपुर रेलवे क्रॉसिंग अरुआका लिलोड से श्रीरामपुर की सीमा तक) 11- छत्तरपुर 12-जयनगर 13- विजयनगर	95	9000	8000	21000	37000	30000	12,000	7,000
11	श्रेणी क	अन्य मार्ग (रामपुर नगला रोड कुलसुंगी से लोहरा की सीमा तक) 14- लोहरा 15- लोहरा	75	6,000	5,500	18000	32000	25000	12,000	7,000
12	श्रेणी क	(रामपुर से मन्दिहार खेड़ा रोड) 16- कोलडा	70	5,000	4,600	17000	30000	22500	12,000	7,000

X


 उपर लिखित कार्य (वि/व) के
 अवधि सित नगर

तहसील रुद्रपुर के मुख्य/अन्य मार्ग के विशिष्ट ग्राम/ग्रामों की दरें (अर्द्धनगरीय क्षेत्र)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/मोड /राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/राजस्व ग्रामों का नाम	क्षेत्रीय भूमि (एकूण प्रति हैक्टेयर) (ऊपर के लान में)	अवशिष्ट दर प्रति वर्गमीटर (एकूण हजार में)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया एकूण प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (विक्रय पर प्रति वर्गमीटर निर्गमित क्षेत्र पर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (एकूण प्रति वर्ग मीटर)	
				सड़क 0 से 100 मीटर दूरी तक	उपरोक्त से 100 मीटर से अधिक दूरी		दुकान /रेस्टोरेंट /कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनट/पार्श्व)	द्वितीय श्रेणी (टीन/पार्श्व)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
13	श्रेणी क	(लालपुर से नाला मार्ग) 17- रामेश्वरपुर (दमपुर से रायपुर अमरपुर मार्ग) 18- बिन्दुखेड़ा 19- रायपुर 20- अमरपुर विक्रम मार्ग (जाफपुर से लम्बाखेड़ा सैयदखली गंज) 21- लम्बाखेड़ा 22- सैयद अलीगंज (जयनगर से दिनेशपुर मार्ग) 23- श्रीरायपुर 24- गोरखाला	80	5,000	4,500	17000	30000	25000	12,000	7,000
			55	4800	4,000	17000	30000	25000	12,000	7,000
			40	6,500	5,500	18500	30000	25000	12,000	7,000
			40	5,000	4,500	17000	30000	25000	12,000	7,000

✓

(9)

अध्यक्ष विकास विभाग
रुद्रपुर तहसील
उत्तरांचल प्रदेश

तहसील रुद्रपुर के ग्रामीण क्षेत्र की दरे (ग्रामीण क्षेत्र)

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / राजस्व ग्रामों / राजस्व क्षेत्रों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि मृत्ति (रु० प्रति हेक्टेयर) (कपास लागू में)	अच्छी दर प्रति वर्गमीटर (रु० हजार में)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (गुपर दरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (दियारा प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर)		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
				सड़क 0 से 50 मीटर दूरी तक	सड़क 51 से 200 मीटर दूरी तक		डुकान / रेस्टोनेट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिफ्ट/ग्रेड)	द्वितीय श्रेणी (टीनरोश)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
14	श्रेणी क	1- गंगापुर पटिया 2- खमरिया 3- मलसा गिरधरपुर 4- कुरैया 5- सैजनी 6- खडपुरा 7- मलसी 8- बड़ौरा	40	4,000	3,500	16000	25000	20000	12,000	7,000

+

(Signature)

जनपद-उधमसिंहनगर में औद्योगिक भूमि की दरें-

नगरीय क्षेत्र	3500 रु० प्रति वर्गमीटर
अर्द्धनगरीय क्षेत्र	2500 रु० प्रति वर्गमीटर
ग्रामीण क्षेत्र	1500 रु० प्रति वर्गमीटर
निर्माण की दरें	7000 रु० प्रति वर्गमीटर

नोट-1. औद्योगिक दरें में मार्गीय वृद्धि देय नहीं होगी।

2. उप निबन्धक काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत महुआखेड़ागंज नगरपालिका की औद्योगिक दरें 2500 रु० प्रति वर्गमीटर प्रभावी होंगी।

★


 जयपुर सिविल इंजीनियरिंग
 जयपुर सिविल इंजीनियरिंग

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका फार्मुला निम्नलिखित है :-

नोट:- क्षरण की निम्न सारणी भवन की अनुमानिता आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में ह्रास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :- $D = P(1 - RD/100)^N$ $RD = \frac{\text{भवन की औसत आयु}}{100}$

100

D = ह्रास मूल्य (Depreciated Value) P = वर्तमान मूल्य N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)

1 वर्ष	0.990	26 वर्ष	0.770	51 वर्ष	0.598	76 वर्ष	0.465
2	0.980	27	0.762	52	0.592	77	0.461
3	0.970	28	0.754	53	0.587	78	0.456
4	0.960	29	0.747	54	0.581	79	0.452
5	0.950	30	0.739	55	0.575	80	0.447
6	0.941	31	0.731	56	0.569	81	0.443
7	0.932	32	0.724	57	0.563	82	0.438
8	0.927	33	0.717	58	0.558	83	0.434
9	0.913	34	0.710	59	0.552	84	0.429
10	0.904	35	0.703	60	0.547	85	0.425
11	0.890	36	0.696	61	0.541	86	0.421
12	0.880	37	0.689	62	0.536	87	0.417
13	0.870	38	0.682	63	0.530	88	0.412
14	0.868	39	0.675	64	0.525	89	0.408
15	0.860	40	0.668	65	0.518	90	0.404
16	0.851	41	0.662	66	0.515	91	0.400
17	0.842	42	0.655	67	0.509	92	0.396
18	0.834	43	0.649	68	0.504	93	0.392
19	0.826	44	0.642	69	0.499	94	0.388
20	0.817	45	0.636	70	0.494	95	0.384
21	0.809	46	0.629	71	0.489	96	0.381
22	0.801	47	0.623	72	0.484	97	0.377
23	0.793	48	0.617	73	0.480	98	0.373
24	0.785	49	0.611	74	0.475	99	0.369
25	0.777	50	0.605	75	0.470	100	0.366

संयम सिंह नगर

सामान्य निर्देशिका:-

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड के दिनांक-12 जनवरी 2018 पत्रांक संख्या-27 (1)/2018/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 के निर्देश के क्रम में सामान्य निर्देशिका:-

1. यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-

- (क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 5 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (ख) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (ग) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,
- (घ) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा,

2. वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।

3. शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिसमें स्वयंसेवित यात्रिक सीडियॉ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तर्गत सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथम तल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत की छूट देय होगी। तथा तृतीय तल एवं ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

4. ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्न खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी दर के आधार पर अंकलित किया जायेगा।

5. एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तर्गत विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

6. 1000 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी। परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।

7. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आर्थनिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तर्गत परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप

4

1

सचिव वित्त नगर

में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निष्पन्नित दसों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।

मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के ख़ासा नम्बरान की सूची जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित दूरी के मानक के अनुसार सर्किल दर सूची में संलग्न की जायेगी तथा उक्त में अधिकतम ख़ासा नम्बरान की दूरी के आधार पर लेखपत्रों के द्वारा अन्तर्गत भूमि/सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त से अन्वया दूरी प्रदर्शित कर मूल्यांकन किये जाने की स्थिति में लेखपत्र की प्रति स्ताम्प एक्ट के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत परीक्षण की कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी।

कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा।

किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित परलैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक चैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में स्वीकृत प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो, उसका विलेख में उल्लेख में किया जाना अनिवार्य होगा, एवं ऐसे स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लार्डसेन्स प्राप्त ज़पटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा इस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। एवं जिस भवन का निर्माण बहुत पुराना हो तथा उसकी स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न हो, उस दशा में लार्डसेन्स ज़पटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा इस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में लिन्टर पोश, टीनपोश अथवा फलैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

पर्यट का तत्सर्व उत्तर प्रदेश ओनररिपि ऑफ पर्यट एक्ट-1975 (यथा संशोधित यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत परिभाषित भवन के भाग से होगा।

भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सकिंल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की विधिर्षित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि अन्तरित भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां/मौहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।

वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।

भवन की आयु निर्धारित के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य हास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। फलैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।

भूमि/सम्पत्ति बाह्य ढोले के स्थित होने पर रुपया 1000/- रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन रुपये-25000.00 प्रति बोरिंग की दर से पृथक् से किया जायेगा।

टीनपाश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।

विकास में आधुनिक हवाई में में निहित निर्माण का मूल्यांकन, निर्माण की प्रकृति यथा लिप्टर पोश, टीनपोश निर्माण हेतु मूल्यांकन सूची में अंकित दर के अनुसार किया जायेगा।

केसी भी औद्योगिक इकाई का अन्तर्ण होने की दशा में उक्त में स्थापित भग्नीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एग्ल्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।

~~SECRET~~

22. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थानों पर निर्धारित है तो उच्चतम दर प्रभावी होगी।
23. मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
24. मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि शिथिल कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से हैं, जहाँ से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यालयों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्तर पर निर्धारित मूल्यांकन नियमावली 1987 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्तर पर (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
25. किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभावता या उस पर प्रभाव शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
26. मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।
 - (i) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र, 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (ii) विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (iii) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1. दुकान, 2. रेस्टोरेन्ट, 3. कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हों, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (iv) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अंतरित कृषि/अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (v) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित संडक-सड़कों/मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (vi) पक्षकारों द्वारा अंतरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्टाम्प एकट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। जो विलेख का भाग माना जायेगा।


 (जगदीश चन्द्र कामंडपाल)
 अपर निर्वाधिकारी,
 उत्तराखण्ड नगरपालिका (वि. रा.)
 उधम सिंह नगर।

आदेश

सचिव विल्ल उल्लराखण्ड शासन देहरादून विल्ल अनुभाग-9 के पत्र संख्या 27/2018/27(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी निदेश तथा महानिरिक्षक निबन्धन उल्लराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1020/50वि0वि0/2017-18 दिनांक 12.01.2018 के क्रम में उल्लराखण्ड सम्प्रति का मूल्यांकन नियमावली 2015 के अनुसार कार्यालय के पत्र संख्या 626/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2018-17 दिनांक 19.08.2018 द्वारा पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची जो दिनांक 19.08.2018 से प्रभावी है, को संशोधित करते हुए जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित तहसीलवार भूमि एवं भवनों (सम्पत्ति) की दरों का स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क भुगतान के प्रयोजन हेतु संशोधित मूल्यांकन सूची शासन से जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में संशोधित की जाती है, जो आज दिनांक 14.01.2018 से प्रभावी होगी।

(डॉ० नीरज चौरवाल)
जिलाधिकारी/कलेक्टर,
ऊधमसिंहनगर

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर, ऊधमसिंहनगर।

पत्र संख्या-529/5-स्टाम्प/संशोधन मूल्यांकन सूची/2017-18 दिनांक - 14 जनवरी, 2018

प्रतिनिधि-निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उल्लराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व, उल्लराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विल्ल (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उल्लराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विल्ल (स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग), उल्लराखण्ड, देहरादून।
5. महानिरिक्षक, निबन्धन, उल्लराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलवार/उपनिबन्धक, ऊधमसिंहनगर।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी/नगर निगम/नगर पालिका परिषद/छावनी क्षेत्र/नगर पंचायत, ऊधमसिंहनगर।
9. जिला निबन्धक/सहायक आयुक्त स्टाम्प, ऊधमसिंहनगर।
10. विशेष भूमि अध्याक्ष अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
11. कार्यालय प्रति।

(जगदीश चन्द काण्डपाल)
अपर जिलाधिकारी (नज़ूल)
ऊधमसिंहनगर।

तहसील सितारगंज के मुख्य मार्ग/नगरीय मोहल्लो/वार्ड की दरें।

सितारगंज- नगरीय क्षेत्र

Page-1

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला की श्रेणी	वार्ड / मोहल्ला का नाम	सामान्य दर							
			भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)		बहुमुखीताय आवासीय भवन में स्थित आवा. फ्लैट (सुपर परियोजना प्रवर्गमी०)	वाणिज्यिक भवन सुपर परियोजना प्रति वर्गमीटर		गैर वाणिज्यिक		
			कृषि भूमि लाघ / प्र०ई०	सड़क से 100 मी० तक (प्र० प्रवर्गमी०)		100 मी० से अधिक (प्र० प्रवर्गमी०)	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्डरगोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1	क	अमरेश चौखटे से मुख्य बाजार चौखटा (वार्ड न० 7 समलीला वार्ड(आशिक)रमुश (वार्ड न० 8 अग्रसेन ट्रस्ट वार्ड(आशिक)रमुश (वार्ड न० 6 अग्रसेन ट्रस्ट वार्ड(आशिक)रमुश	300	12600	10000	24600	42000	39000	12000	7000
			300	10000	8000	22000	38000	36000	12000	7000
2	क	मुख्य बाजार चौखटे से महाशया प्रताप चौखटा (वार्ड न० 3 अरुणाला वार्ड. (आशिक)) रमुश (वार्ड न० 4 इरुलामनर(आशिक)) सितारगंज (वार्ड न० 5 तहसील वार्ड. (आशिक)) रमुश (वार्ड न० 7 समलीला वार्ड. (आशिक)) रमुश (वार्ड न० 8 हरीश्र्वान, (आशिक)) रमुश	300	12600	10000	24600	42000	39000	12000	7000
3	क	महाशया प्रताप चौखटे से खटीमा मार्ग (वार्ड न० 2 अरुणाला वार्ड. (आशिक)) रमुश (वार्ड न० 10 नगरपालिका वार्ड. (आशिक)) रमुश	300	12600	10000	24600	42000	39000	12000	7000
4	क	महाशया प्रताप चौखटे से बिन्दी तिरवा (वार्ड न० 10 नगरपालिका वार्ड. (आशिक)) रमुश	300	12600	10000	24600	42000	39000	12000	7000
5	क	सितारगंज-विजयी मार्ग (वार्ड न० 10 नगरपालिका वार्ड. (आशिक)) रमुश	300	10000	8000	22000	37000	35500	12000	7000
	ख	(वार्ड न० 11 बंगाली बस्ती. (आशिक)) रमुश	250	6400	5000	18400	28000	25500	12000	7000

★

4/11/20
उपम सितारगंज (वि. नगर)

59

6	क	विज्डी तिराहे से अमरिया चौखला [बार्ड नं० 8 अग्रसेन ट्रस्ट बार्ड, (आर्थिक)] रमपुरा [बार्ड नं० 9 सारथीखाना बार्ड, (आर्थिक)] रमपुरा	300	12600	10000	24600	42000	39000	12000	7000
	ख	[बार्ड नं० 11 बंगाली बस्ती, (आर्थिक)] रमपुरा	150	6400	5000	18400	28000	25500	12000	7000
7	क	गहाराणा प्रताप चौखहे से नकुलिया चौखला [बार्ड नं० 3 अक्षयपाल बार्ड, (आर्थिक)] रमपुरा [बार्ड नं० 4 इस्लामनगर, (आर्थिक)] सितारागंज	300	12600	10000	24600	42000	39000	12000	7000
	ख	[बार्ड नं० 1 चित्तौमजरा, (आर्थिक)] सितारागंज [बार्ड नं० 2 जामा मस्जिद बार्ड, (आर्थिक)] सितारागंज	190	7700	6200	19700	32500	31500	12000	7000


 अथवा निम्नलिखितकारी (वि./रा.)
 उद्यम सिंह नगर

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / सं० मोल्गा की श्रेणी	वार्ड / मोल्गा का नाम	सामान्य दर									
			भूमि / समस्त			बहुमूल्यीय आवासीय भवन में स्थित आम. फलदार (सुरर एरिया) प्रोवर्गमी०	वाणिज्यिक भवन सुभर		वीर वाणिज्यिक			
			कृषि भूमि लाख / प्रोवर्गमी०	सड़क से 100 मी० तक (रू० प्रोवर्गमी०)	100 मी० से अधिक (रू० प्रोवर्गमी०)		परिभा प्रति वर्गमीटर	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्ड-प्रवर्ग)	द्वितीय श्रेणी (टीनगेश)		
1	क	वार्ड नम्बर-1 वार्ड नम्बर-2	105	3300	2600	15300	18500	17000	12000	7000		
	ख	वार्ड नम्बर-3	75	2400	1900	14400	19000	18000	12000	7000		
	ग	वार्ड नम्बर-4	70	2100	1700	14100	19000	18000	12000	7000		

✓

सदर सचिव सिद्धाराज नगरपालिका (सि.सं.)
सदर सचिव नगर

क्र० सं०	प्रमुख मान/मोल्ता की श्रेणी	गार्ड/मोल्ता का नाम	सामान्य दर							
			पूँति/समयति			बहुमुजितीय अवसारीय गठन में स्थित आवा. कनेट (सुपर एरिया) प्रथम श्रेणी	वाणिज्यिक भवन सुपर		शेर वाणिज्यिक	
			कृषि भूमि लाख/प्र० है०	सड़क से 100 मी० तक (रू० प्र० वर्गमी०)	100 मी० से अधिक (रू० प्र० वर्गमी०)		पूरिया प्रति वर्गमीटर हुकान/सेक्टर/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टरपोर)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोर)
1	क	शाने के पीछे का क्षेत्र-गार्ड नम्बर 3	56	4500	3700	16500	18500	17000	12000	7000
		गद्दी पट्टी-गार्ड नम्बर 2	55	4400	3600	16400	18500	17000	12000	7000
		गद्दी पट्टी-गार्ड नम्बर 4	55	4400	3600	16400	18500	17000	12000	7000
		भिलकमाफी- गार्ड नम्बर 5	55	4400	3600	16400	18500	17000	12000	7000
		जगदम्बा माधिर क्षेत्र-गार्ड नम्बर 6	55	4400	3600	16400	18500	17000	12000	7000
		तपेड़ा- गार्ड नम्बर 7	55	4400	3600	16400	18500	17000	12000	7000
		ग	मिलकमाफी गार्ड नम्बर 1	54	4000	3500	16000	18500	17000	12000

4/11/20
सिंहारपंज नगरपालिका (वि. १९१)
उपमहानगरपालिका

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/ गोखला की श्रेणी	वार्ड/मोहल्ला का नाम	सामान्य दर									
			मुक्ति/समाप्ति (प्रति वर्गमीटर)			वाटुमुजिल्लेय आवासीय भवन में स्थित आवा. फ्लैट (सुपर एरिया) प्रवर्गमी०	वाणिज्यिक धवन सुपर		शेयर वाणिज्यिक			
			भूखि भूमि लावा / प्रवर्गमी०	सड़क से 100 मी० तक (१०० प्रवर्गमी०)	100 मी० से अधिक (१०० प्रवर्गमी०)		हुकान / स्टेडिस्टैंट / कार्यालय	अन्ध वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिटर/घण्टा)	द्वितीय श्रेणी (टिनपोश)		
1	क	सितासमंज-खटीमा बाईपास मार्ग अमरिया चौराहे से बिज्जी तिराहे तक (पण्डरी)	90	5200	4200	16700	25000	23000	12000	7000		
		सितासमंज-खटीमा रोड बर्पास, चौकाघाट, जोहरा, परायेडा	45	4200	3400	16200	24000	22500	12000	7000		
		बिज्जी	38	3500	2800	15500	18000	17000	12000	7000		
		कल्याणपुर	38	3500	2800	15500	18000	17000	12000	7000		
		पण्डरी (पण्डरी चौराहे से दुसरा अमरवात तक)	90	5800	4500	16700	26000	24500	12000	7000		

अध्यापककारी (वि.स.)
सत्यम सिंह नगर !

2	क	सिताराज-किछा रोड पण्डरी	90	6500	5200	18000	27500	26000	12000	7000
		सिताराज-किछा मार्ग कुसरपुर, सिसेया	38	3500	2800	15500	18500	17500	12000	7000
		सिताराज-किछा मार्ग कठारी	25	2000	1500	14000	15500	15000	12000	7000
		गोटा, लीका	40	3600	2900	15600	22500	21000	12000	7000
		दहडा	38	3500	2800	15500	20000	19000	12000	7000
		मिटीस	38	3500	2600	15500	18000	17000	12000	7000
		नेकहा	38	3500	2800	25500	20000	19000	12000	7000
3	क	सिताराज-सिद्धल रोड बगमपुरी, सिसेया, चौकला	60	5000	4000	17000	24500	23000	12000	7000

सप्त सिद्धिकारी (वि.)
सप्त सिंह नारायण

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मोड़ का श्रेणी	गार्ड / मोड़ का नाम	सामान्य दर									
			भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमूल्यीय आवासीय भवन में स्थित आवा. फ्लैट (सुपर एरिया) प्रोग्रेसीव	वाणिज्यिक भवन सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर		नगर वाणिज्यिक			
			कुछ भूमि (लाख / ५० हे०)	सड़क से १०० फी० तक (रू० प्रग्रेसीव)	१०० फी० से अधिक (रू० प्रग्रेसीव)		दुकान / रेस्तराँ / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक भवन	प्रथम श्रेणी (रिजर्वेशन)	द्वितीय श्रेणी (रीजर्वेशन)		
4	क	सितामगंज-शीनोमीत रोड मण्डरी, गौरीछंदा, बड़वा (आरिफ)	50	4500	3500	16000	23000	21500	12000	7000		
		सरकडा	45	3800	3000	15500	17500	17000	12000	7000		
5	क	नकुलिया मार्ग शालिनीसौर, नकुलिया	40	3600	2800	15600	22500	21000	12000	7000		
		ख	करवानपुर	40	3800	3000	15800	23000	21500	12000	7000	
6	क	सितामगंज-बिस्टी रोड बड़ौरी, करवाटा	35	3800	3000	15800	23000	21500	12000	7000		
7	क	सितामगंज-शक्तिधर्म मार्ग बरवावावाग, देवनगर, कुसमीठ	38	3600	2800	15600	18500	17500	12000	7000		
		अरविन्द नगर	34	2800	2200	14800	19000	17500	12000	7000		

11/18

अध्यक्ष निदेश

क्र० स० प्रमुख मार्ग/ मोल्ता की श्रेणी	वार्ड/गोबिल्ला का नाम	सामान्य दर							शैर वाणिज्यिक	
		भूमि/सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			वाट्सु वितीय आवासीय भवन में स्थित आवा. फ्लैट (गुप्त दरिया) प्रकारमी०	वाणिज्यिक भवन सुपर		अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (किन्टरावा)	द्वितीय श्रेणी (टिन्पोरा)
		कृषि भूमि लाघ/प्र०है०	सड़क से 100 मी० तक (रू० प्र०वर्गमी०)	100 मी० से अधिक (रू० प्र०वर्गमी०)		दुकान/ रेस्टोरेंट/ कार्यालय	अन्य			
क	चकरीली	45	3750	3000	15750	23000	21000	12000	7000	
ख	तुकेमिलीर	50	4000	3200	15000	23000	21000	12000	7000	
ग	डोहरी रसोईवापुर	30	2750	2200	14750	18000	17000	12000	7000	

4

अथ  कारी (वि./श.)
उपस्थित नगर !

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोड़ों की श्रेणी	घाट / गोदाला का नाम	सामान्य दर									
			भूमि / सफाई (प्रति वर्गमीटर)			बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थित आवा. एकल (सुपर एरिया) प्रवर्गमी०	वाणिज्यिक भवन सुपर		नैर वाणिज्यिक			
			कृषि गृह लाख / घण्टे	सड़क से 100 मी० तक (को प्रवर्गमी०)	100 मी० से अधिक (को प्रवर्गमी०)		दुकान / शेल्स रेन्ड / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (रिन्टेन्सपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)		
1	क	खिलारगंज-पीलीभीत मार्ग सावेपुर	32	2750	2200	14750	18000	16500	12000	7000		
	ख	खिलारगंज-पीलीभीत मार्ग मलपुरी, नाकटपुरा.	40	3000	2500	15000	19000	17000	12000	7000		
2	क	खिलारगंज-विन्दी मार्ग अँधेराबाजार, विन्दी	30	2750	2200	14750	18000	16500	12000	7000		
3	क	खिलारगंज-शक्तिधर्म मार्ग सिर्दलनगर	30	3100	2500	15100	17500	16000	12000	7000		

अध्यक्ष प्रशासक कार्यालय (वि. / रा.)
राज्य सिंह नगर

क्र० सं०	प्रमुख भाग / श्रेणी	वार्ड / मोहल्ला का नाम	सामान्य दर							
			भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)		बहुमुक्तिरीय आवासीय गणन में स्थित आवा. फ्लैट (सुपर एरिया) प्रवर्तनीय	वाणिज्यिक भवन सुपर		गैर वाणिज्यिक		
			कृषि भूमि लाघ / प्रॉपर्टी	सड़क से 100 मी० तक (१०० प्रॉपर्टीमी०)		100 मी० से अधिक (१०० प्रॉपर्टीमी०)	ररिग प्रति वर्गमीटर हुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिटटरपोथ)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोथ)
1	क	मोहम्मदगंज, तिलियापुर, मैनाझुण्डी, विशाख कवर बस्तर, डिगोडी, खेमपुर, दीननगर, हट्टुवा, शनकट, तिघरी, करवाटिया, पिपलियानाथ, कौशारतन नवदिया, लामाखंडा, खैराना, इस्लामनगर, सुनखरी मोसिन्दनगर, बैकुण्ठपुर, राजनगर, टैंगोनगर, सुरेन्दनगर, शुकरा, पिपडासे	30	2750	2200	14750	18000	16500	12000	7000
			20	1800	1450	13800	16000	15000	12000	7000
			30	3000	2400	15000	20500	18500	12000	7000
			29	2750	2200	14750	16500	15000	12000	7000
	ख	हट्टुवा, एंथला, औरदल, किलपुरी, विधानपुर, कुआखेडा, अंधुलिया, खभरिया, खुनसरा, पिधर, गुलशम, गोविन्दपुर, दुकडी, डिगोडार, दानवीडा, दूसरी, देवकरी, दोवा, धूमखेडा, कौशाखेडा, न्यानपुर, नानला, नवीनगर, नलई, पडसैनी, पिपलहत्ता, पिपलिया, पिपलियाधरतौर, पूरनाढ, प्रतापदामनसिया, बरकोडाडी, बरा, बलखेडा, मिथुईया, बिही, बिहीरी, मनौनी, भीरभपुर, भारसडा, माटिहा, गेलखा, रासन, राखाली, राजनगर, जंदपुर, लालाखवास, लाकरपट्टी, विचई, विंधुवा, सरीज, सलमती, सलमता, साधुनगर, सुनखरा, सुनखरीकला, सुन्दरपुर, खैरानी, बिरिया (परा नानकमला), बिरिया (परा किलपुरी), इरैया	18	2000	1500	14000	14200	12400	12000	7000

उपम सिंह नगर

तहसील खटीमा के मुख्य मार्ग / नगरीय मोहल्लो / वार्ड की दरें।

खटीमा- नगरीय क्षेत्र

Page-10

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला की श्रेणी	वार्ड / मोहल्ला का नाम	सामान्य दर							
			भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			चट्टी/खिलीय आवसीय भवन में स्थित आवा. फर्लेट (सुपर एरिया) प्रोबर्फी	वाणिज्यिक भवन सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर		गैर वाणिज्यिक	
			यूनिट भूमि लाघ / प्रोबर्फी	सड़क से 100 मी० तक (रू० प्रोबर्फी)	100 मी० से अधिक (रू० प्रोबर्फी)		भवन में स्थित आवा. फर्लेट (सुपर एरिया) प्रोबर्फी	हुकाना / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक परिसर	प्रयोग श्रेणी (लिट्टर/घरेलू)
1	क	मुख्य चौराहा से सिलारगंज मार्ग- वार्ड नम्बर 1	220	9200	7400	21200	38000	36000	12000	7000
		वार्ड नम्बर 8 (आशिक)								
		वार्ड नम्बर 9								
		मुख्य चौराहा से टनकपुर मार्ग- वार्ड नम्बर 2 (दक्षिणी सीमा)	220	9200	7400	21200	38000	36000	12000	7000
		वार्ड नम्बर 3								
		वार्ड नम्बर 4 (आशिक)								
		वार्ड नम्बर 5 (आशिक)								
		वार्ड नम्बर 8 (आशिक)								
		खटीमा-नेलाघाट मार्ग- वार्ड नम्बर 4 (आशिक)	220	9200	7400	21200	38000	36000	12000	7000
		वार्ड नम्बर 5 (आशिक)								
	ख	मुख्य चौराहा से पीलीभीत मार्ग- वार्ड नम्बर 5 (आशिक)	220	9200	7400	21200	38000	36000	12000	7000
		वार्ड नम्बर 8 (आशिक)								
		वार्ड नम्बर 6	210	8500	6800	20500	37500	37000	12000	7000
		वार्ड नम्बर 7								
	ग	मुख्य चौराहा से टनकपुर मार्ग- वार्ड नम्बर 2 (उत्तरी सीमा)	210	8500	6800	20500	37500	36500	12000	7000

✓

24/11/20

उपम सिकंद नगर !

क्र०	प्रमुख मार्ग / मोटरा की श्रेणी	वार्ड / मोटरा का नाम	सामान्य दर									
			भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			बहुमुखीकरण आय/सीमा	वाणिज्यिक मयन सुपर			नैऋतिक		
			कुल भूमि लक्ष्य / प्रॉपर्टी	सड़क से 100 मी० तक (कम प्रॉपर्टीमी०)	100 मी० से अधिक (कम प्रॉपर्टीमी०)		पुरिया प्रति वर्गमीटर (दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिटरप्रेश)	द्वितीय श्रेणी (टीनापेश)		
1	क	खटीमा -सितासराज मार्ग- सरोसिया ,	45	4500	3500	16500	23500	21500	12000	7000		
		कुमाराह, पक्षेत्रिया	26	3300	2800	15300	18000	16500	12000	7000		
		शनकट	30	3800	3300	15800	20500	18500	12000	7000		
2	क	खटीमा-मोलाघाट मार्ग-खटीमा (नगरसीमा बाहर)	38	5000	3900	17000	24000	22000	12000	7000		
3	क	खटीमा -पीलीशिला मार्ग खेतलसराख खार, नीगावाठपु, मुण्डेली शारुबेटा	38	4200	3400	16200	23500	21500	12000	7000		
			28	3600	3100	15600	20000	18500	12000	7000		
4	क	खटीमा -सितासराज मार्ग- बानुसी	22	3300	2800	15000	19000	17000	12000	7000		

अथ अधिकारी (वि. / क.)
उद्यम सिंह नगर

5	ક	જાહેરાત - મીડીયમ પ્રાર્થના સંસ્થા	18	2250	1800	14250	16000	14500	12000	7000
		જાહેરાત, પાલિકા, સરકારી	20	2800	2200	14800	18500	17500	12000	7000
		પાલિકા, સરકારી	18	2200	1750	14200	16500	14500	12000	7000
		સરકારી	21	2800	2250	14800	18000	17000	12000	7000
		પાલિકા	18	2200	1750	14200	15500	14000	12000	7000
6	ક	જાહેરાત - મીડીયમ પ્રાર્થના સંસ્થા	18	2500	2000	14500	15500	14000	12000	7000
		પાલિકા, સરકારી								
		જાહેરાત - મીડીયમ પ્રાર્થના સંસ્થા	22	3000	2400	15000	17500	16500	12000	7000

જાહેરાત - મીડીયમ પ્રાર્થના સંસ્થા
જાહેરાત - મીડીયમ પ્રાર્થના સંસ્થા

~~4~~

१५/११/८०
 दिवादिनादी दि
 सिम सिम मम

क्र०	प्रमुख कार्य / श्रेणी	वार्ड / मोहल्ला के नाम	सामान्य दर									
			भूमि / संपत्ति (प्रति वर्गमीटर)			महामुजितीय		वाणिज्यिक भवन सुपर			गैर वाणिज्यिक	
			चूहे भूमि लाख / प्रोहैड	सड़क से 100 मी० तक (रू० प्रवर्गमी०)	100 मी० से अधिक (रू० प्रवर्गमी०)	आवासीय भवन में स्थित आवा. फ्लैट (सुपर एरिया) प्रवर्गमी०	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्पोरलथ	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (रिन्टरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टिन्पोश)		
1	क	आ.वि.कालीनी	N/A	4500	3600	16500	24500	22000	12000	7000		
	ख	ऊर्वागडुवट	17	2200	1800	14200	16000	15000	12000	7000		


 उपस्थितिकारी (वि./स.)
 उपस्थिति नगर !

क्र० प्रमुख भार्ग / सं० श्रेणी	वार्ड / मोहल्ला का नाम	सामान्य दर								
		भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमीटर)			वट्टमुलेलीय आवासीय मकान में स्थिर आवा. फर्लैट (सुपर एरिया) प्रोवर्गमी०	वाणिज्यिक मकान सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर दुकान / स्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	शैर वाणिज्यिक		
		कृषि भूमि लाख / प्रोहै०	राइक से 100 मी० तक (रू० प्रोवर्गमी०)	100 मी० से अधिक (रू० प्रोवर्गमी०)				प्रथम श्रेणी (लिन्टरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)	
1	क	जयसुप्रतापपुर, बडिआ	21	2800	2200	14800	17500	15500	12000	7000
	ख	सरपुका, भीसेरा, जगदीपुर, सुभातर, भुडियादेही, भोरुभदापुर उलानी, दाह, नौसर, डाकी, विचपुरी, गौहरपटिया, भुडियाधरा, बादा, नगलातराई, देवकला, खेतकस-न्हापुर, जिनर, विरिया, कुआखेडा, जगकटिया, भुडाकिशनी, नौगवानाथ, थांदपुर, सैजना, दिवा, गांगी सुजिया, गौडरिया, गुरुखुडा, जोगीठेर नरला, अर्नोर दिशरी, रतनपुर, बाजुसा, खेडाडाहिया, बिगीटा, भडाभुडिया, उलहन, पुरनापुर, गंगापुर, मजगानी, समथना मन्देवी, दमराडा	20	2400	1900	14400	15500	14500	12000	7000

उपस्थित अधिकारी (दि. 14/11/18)
उपस्थित नगर

जनपद-उधमसिंहनगर में औद्योगिक भूमि की दरें-

नगरीय क्षेत्र	3500 रु० प्रति वर्गमीटर
अर्द्धनगरीय क्षेत्र	2500 रु० प्रति वर्गमीटर
ग्रामीण क्षेत्र	1500 रु० प्रति वर्गमीटर
निर्माण की दरें	7000 रु० प्रति वर्गमीटर

नोट-1. औद्योगिक दरें में मार्गीय वृद्धि देय नहीं होगी।

2. उप निबन्धक काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत महुआखेड़ागंज नगरपालिका की औद्योगिक दरें 2500 रु० प्रति वर्गमीटर प्रभावी होंगी।

★

उप निबन्धक काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत महुआखेड़ागंज नगरपालिका की औद्योगिक दरें 2500 रु० प्रति वर्गमीटर प्रभावी होंगी।

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

क्षरण निम्न अनुसार देय होगा, जिसका फर्मुला निम्नलिखित है :-

नोट:- क्षरण की निम्न साखणी भवन की अनुमानिता आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

निर्माण मूल्य में हास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :- $D = P(1 - RD/100)^N$

RD = भवन की औसत आयु

100

D = हास मूल्य (Depreciated Value) P = वर्तमान मूल्य N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)									
1 वर्ष	0.990	26 वर्ष	0.770	51 वर्ष	0.598	76 वर्ष	0.465		
2	0.980	27	0.762	52	0.592	77	0.461		
3	0.970	28	0.754	53	0.587	78	0.456		
4	0.960	29	0.747	54	0.581	79	0.452		
5	0.950	30	0.739	55	0.575	80	0.447		
6	0.941	31	0.731	56	0.569	81	0.443		
7	0.932	32	0.724	57	0.563	82	0.438		
8	0.927	33	0.717	58	0.558	83	0.434		
9	0.913	34	0.710	59	0.552	84	0.429		
10	0.904	35	0.703	60	0.547	85	0.425		
11	0.890	36	0.696	61	0.541	86	0.421		
12	0.880	37	0.689	62	0.536	87	0.417		
13	0.870	38	0.682	63	0.530	88	0.412		
14	0.868	39	0.675	64	0.525	89	0.408		
15	0.860	40	0.668	65	0.518	90	0.404		
16	0.851	41	0.662	66	0.515	91	0.400		
17	0.842	42	0.655	67	0.509	92	0.396		
18	0.834	43	0.649	68	0.504	93	0.392		
19	0.826	44	0.642	69	0.499	94	0.388		
20	0.817	45	0.636	70	0.494	95	0.384		
21	0.809	46	0.629	71	0.489	96	0.381		
22	0.801	47	0.623	72	0.484	97	0.377		
23	0.793	48	0.617	73	0.480	98	0.373		
24	0.785	49	0.611	74	0.475	99	0.369		
25	0.777	50	0.605	75	0.470	100	0.366		

✓

सत्य सिंह नगर

सामान्य निर्देशिका:-

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड के दिनांक-12 जनवरी 2018 पत्रांक संख्या-27 (1)/2018/XXVII(9)/स्वाम-80/2009 के निर्देश के क्रम में सामान्य निर्देशिका:-

1. याचि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित पूछण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि-

- (क) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 5 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा.
- (ख) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा.
- (ग) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा.
- (घ) कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमन्जिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लेट्स तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा.

2. वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।

3. शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिसमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियाँ (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तरित सम्मिलित में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथम तल, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत की छूट देय होगी। तथा तृतीय तल एवं ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

4. ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्न खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी दर के आधार पर आकलित किया जायेगा।

5. एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो, के अन्तरण विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होंगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतः, द्वितीय तल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

6. 1000 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी। परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।

7. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य आद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियाँ हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप

4

1

सचिव निर्देश नगर

में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दशों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।

मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य भागों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के खसरा नम्बरान की सूची जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित दूरी के मानक के अनुसार सर्किल दर सूची में संलग्न की जायेगी तथा उक्त में अंकित खसरा नम्बरान की दूरी के आधार पर लेखपत्रों के द्वारा अन्तर्गत भूमि/सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त से अन्वया दूरी प्रदर्शित कर मूल्यांकन किये जाने की स्थिति में लेखपत्र की प्रति स्टाफ एक्ट के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत परीक्षण की कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी।

कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 (एक दशमलव एक) गुनी होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर अंकलित दर से होगा।

किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

11. बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित फ्लैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

12. प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो, उसका विलेख में उल्लेख में किया जाना अनिवार्य होगा, एवं ऐसे स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लाईसेन्स प्राप्त झपटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। एवं जिस भवन का निर्माण बहुत पुराना हो तथा उसकी स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न हो, उस दशा में लाईसेन्स झपटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा। तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में लिन्टर पोश, टीनपोश अथवा फ्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

13. फ्लैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप ऑफ फ्लैट एक्ट-1975 (यथा संशोधित यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।

14. भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तर्गत भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दशों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि अन्तर्गत भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनिया/मौहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।

15. वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में कोई हास भूखण्ड देय नहीं होगा।

16. भवनों की आयु निर्धारित के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य हास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। फ्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।

17. भूमि/सम्पत्ति बाडपट्टी वॉल के स्थित होने पर रुकया 1000/- रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

18. भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन रूपये-25000.00 प्रति बोरिंग की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

19. टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।

20. किसी भी औद्योगिक इकाई में में निहित निर्माण का मूल्यांकन, निर्माण की प्रकृति यथा लिन्टर पोश, टीनपोश निर्माण हेतु मूल्यांकन सूची में अंकित दर के अनुसार किया जायेगा।

21. किसी भी औद्योगिक इकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्लाइड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।

प्रमुख अधिकारी (105)
सकल सिद्धि भवन

22. मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित हैं तो उच्चतम दर प्रमाणी होगी।
23. मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दर निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
24. मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से हैं, जहाँ से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) यथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा परिभाषित है।
25. किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभावता या उस पर प्रभाव शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
26. मूल्यांकन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु विलेखों में अंकित किये जाने वाले निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।
 - (i) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र, 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र, 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के सम्बन्ध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (ii) विलेख में विलेख के द्वारा अंतरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (iii) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1. दुकान, 2. रेस्टोरेन्ट, 3. कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हों, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (iv) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वर्णित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित कृषि/अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (v) विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित संड़क-सड़कों/मार्ग की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (vi) पशुकारों द्वारा अंतरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्टाम्प एकट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। जो विलेख का भाग माना जायेगा।


 (जगदीश चन्द काण्डपाल)
 अध्यापक, शिक्षाधिकारी,
 उद्यम सिद्ध नगर,
 (वि. / रा.)